

नेशनल मिशन ऑन नैचुरल फार्मिंग

कार्ययोजना वर्ष 2022-23 से 2025-26



कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश

"स्वास्थ्य एवं समृद्धि हेतु प्राकृतिक खेती अपनार्ये"

"Adopt Natural Farming for Health & Prosperity"

कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

(भूमि संरक्षण अनुभाग)

कृषि भवन, लखनऊ।

पत्रांक:-भू0सं0/बाढ़ो0यो0/249/NMNF/का0यो0/2022-23/ दिनांक- 22 सितम्बर, 2022

उप कृषि निदेशक,

बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलन्दशहर, अमरोहा, संभल, कासगंज, अलीगढ़, बदायूँ, शाहजहाँपुर, हरदोई, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर, भदोही, चन्दौली, गाजीपुर, बलिया, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बस्ती, गोरखपुर, बलरामपुर, देवरिया, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, मैनपुरी, आगरा, मथुरा, सोनभद्र, पीलीभीत, शामली, सहारनपुर।

विषय:-नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग(NMNF) योजना का वित्तीय वर्ष 2022-23 से क्रियान्वयन हेतु चार वर्षीय कार्यक्रम की कार्ययोजना।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि कृषि एवं किसान मंत्रालय, भारत सरकार अपने पत्र सं0-15-4/2022-Org.Fmg(112980) दिनांक 25.08.2022 (संलग्न) द्वारा नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग(NMNF) योजना की गाइडलाइन निर्गत की गई है तथा उ0प्र0 में गंगा नदी के दोनो तट से 05 किलोमीटर क्षेत्रफल की सीमा तक 26 जनपद एवं प्रदेश के अन्य 23 जनपद में क्रमशः 62200 एवं 23510 हेक्टेयर क्षेत्रफल इस प्रकार 49 जनपदों में कुल 85710 हेक्टेयर क्षेत्रफल में योजना के क्रियान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

योजना क्लस्टर एप्रोच (50 हे0 क्षे0 प्रति क्लस्टर) एवं 04 वर्षीय कार्यक्रम आधारित है। स्वीकृत कार्ययोजना का क्रियान्वयन वर्ष 2022-23 से प्रारम्भ होकर वर्ष 2025-26 तक क्रियाशील रहेगा।

अतः योजना के क्रियान्वयन की जनपदवार, वर्षवार एवं कार्यमदवार कार्ययोजना (संलग्न) तैयार कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि कृपया नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग(NMNF) की गाइडलाइन में दिये गये निर्देशों के अनुसार सभी वित्तीय नियमों एवं विभागीय दिशा निर्देशों का परिपालन करते हुए कार्यों का क्रियान्वयन वर्ष 2022-23 से सुनिश्चित करे। योजना का क्रियान्वयन पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली आधारित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।



(विवेक कुमार सिंह)

कृषि निदेशक,

उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:-भू०सं०/बाढ़ो०यो०/ / NMNF / का०यो०/2022-23/दिनांक:- उक्त।

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त सेल हेड्स, भूमि संरक्षण अनुभाग, कृषि भवन, लखनऊ।
- 2- सहायक निदेशक(कम्प्यूटर एवं समन्वय) को साफ्ट कॉपी सहित विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 3- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उ०प्र०।
- 4- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
- 5- वित्त नियन्त्रक (नियोजन एवं लेखा), कृषि भवन, लखनऊ।
- 6- निदेशक/अपर कृषि निदेशक (चावल)/एन०एम०एस०ए०, उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
- 7- अपर आयुक्त, आई०एन०एम० डिवीजन, कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 8- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 9- समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 10- अपर मुख्य सचिव, कृषि-3, उ०प्र० शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- 11- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन लखनऊ।

(ए०के० बिश्नोई)
संयुक्त कृषि निदेशक, (बाढ़ो०यो०)
उत्तर प्रदेश।

नेशनल मिशन आन नैचुरल फार्मिंग (NMNF) योजनान्तर्गत प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन की कार्य योजना वर्ष 2022-23 से 2025-26

1- प्रस्तावना -

(1.1) वैदिक काल से प्राकृतिक खेती का भारत के आर्थिक विकास के साथ-साथ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्तमान परिदृश्य में औद्योगीकरण-शहरीकरण तथा हरित क्रान्ति की वजह से जहां एक ओर मानव के आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी की दक्षता का विकास हो रहा है, वहीं अपने प्राचीन काल की कृषि क्षेत्र में विकसित धरोहर शनैः-शनैः क्षीण होती जा रही है। फलस्वरूप, प्रकृति के सभी जीव जन्तुओं पर प्रतिकूल प्रभाव परिलक्षित होने लगा है तथा पारिस्थितिकीय तन्त्र में असंतुलन के कारण विभिन्न प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न होने लगी हैं। अतः वर्तमान में यह आवश्यकता प्रतीत होने लगी है कि सघन रासायनिक कृषि पद्धति सदा निभने वाली कृषि पद्धति नहीं है तथा पौध पोषण हेतु गो आधारित प्राकृतिक खेती एक सशक्त पूरक साबित हो सकती है।

(1.2) अतः इस विधा को प्रमोट करने के उद्देश्य कृषि एवं किसान मंत्रालय, भारत सरकार अपने पत्र सं०-15-4/2022-Org.Fmg(112980) दिनांक 25.07.2022 द्वारा नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना की गाइडलाइन निर्गत की गयी है।

(1.3) प्राकृतिक खेती कृषकों को कृषि उत्पादन लागत में आत्म निर्भर बनाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण एवं रसायन-कीटनाशक-पेस्टीसाइड्स मुक्त खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराये जाने की योजना है। यह पद्धति भारत देश में सदियों से प्रचलित कृषि तकनीकी पर आधारित है।

(1.4) गंगा नदी को अविरल एवं निर्मल बनाने के उद्देश्य से गंगा नदी के दोनों तट से 05 किलोमीटर क्षेत्रफल की सीमा तक प्राकृतिक खेती का क्रियान्वयन प्रदेश में 26 जनपदों में 62200 हेक्टेयर क्षेत्रफल में किया जायेगा, जो कि कुल भारत सरकार से योजना अन्तर्गत स्वीकृत क्षेत्रफल 85710 हेक्टेयर में सम्मिलित है।

(1.5) उत्तर प्रदेश में रसायन एवं पेस्टीसाइड मुक्त प्राकृतिक खेती कार्यक्रम का क्रियान्वयन नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के 49 जनपदों के 144 विकासखण्ड में 85710 हे० क्षे० में कुल 1714 क्लस्टर में वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक प्रस्तावित है।


(वी० के० कौशल)
प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
कृषि भवन, लखनऊ


अंशु कुमार विरनोई
संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ोयोगो)
कृषि भवन, लखनऊ।

2- योजना के उद्देश्य -

- (2.1) रसायन एवं पेस्टीसाइड मुक्त प्राकृतिक खेती की विधा को अपनाकर गंगा नदी को अविरल एवं निर्मल बनाना।
- (2.2) मृदा स्वास्थ्य में सुधार करने के उद्देश्य से जीवांश कार्बन को बढ़ाना।
- (2.3) पर्यावरण संतुलन को कायम रखते हुए कम लागत वाली कृषि तकनीकी अपनाकर खेती करना।
- (2.4) रसायन-कीटनाशक-पेस्टीसाइड मुक्त कृषि उत्पादों का उत्पादन।
- (2.5) कृषि को लाभकारी बनाना एवं कृषकों के आर्थिक स्तर में सुधार कर खेती को सम्मानजनक बनाना।
- (2.6) प्राकृतिक खेती अपनाकर कृषि उत्पादन को स्थायित्व प्रदान करना।
- (2.7) कृषि निवेशों के मामले में किसान को आत्मनिर्भर बनाना।

3- योजना का कार्यक्षेत्र - उत्तर प्रदेश के 49 जनपदों में कुल 144 विकास खण्डों में प्राकृतिक खेती संचालित करने की चार वर्षीय कार्य योजना चरणबद्ध ढंग से वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक कुल 85710 हे० क्षेत्रफल में प्रस्तावित है जिसमें प्रति क्लस्टर 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल में चयन जायेगा। गंगा नदी के दोनों तट से 05 किलोमीटर क्षेत्रफल की सीमा तक 26 जनपदों में 62200 हेक्टेयर क्षेत्रफल भी भारत सरकार से स्वीकृत कुल क्षेत्रफल में सम्मिलित होगा।

4- योजना का कार्यकाल - योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2022-23 से प्रारम्भ होकर वर्ष 2025-26 तक की जायेगी, जिसमें सभी 49 जनपदों के 144 विकास खण्डों में प्रथम चरण (वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक) में 1714 क्लस्टर में चार वर्षों में कुल मिलाकर 85210 हे० क्षेत्रफल में योजना संचालित की जायेगी।

5- योजना का क्रियान्वयन - योजना का क्रियान्वयन क्लस्टर आधारित, चार वर्षीय कार्यक्रम एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा। विभिन्न घटकों के लिये सहायता केवल क्लस्टर आधार पर आवंटित की जायेगी। क्लस्टर एप्रोच के माध्यम से प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिये 04 साल की अवधि के लिये सहायता प्रदान की जायेगी।

- (अ) जनपद स्तर पर कार्यों के निष्पादन हेतु उप कृषि निदेशक नोडल अधिकारी होंगे।
- (ब) मण्डल स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक उत्तरदायी होंगे।
- (स) राज्य स्तर पर कार्यक्रम का संचालन कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश के मार्गदर्शन में अपर कृषि निदेशक (चावल) के दिशा निर्देश में संयुक्त कृषि निदेशक(बाढ़ो०यो०), कृषि भवन, लखनऊ के पर्यवेक्षण में किया जायेगा, जो योजना के निर्देशानुसार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेंगे।

(बी० के० कौशल)
प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
कृषि भवन, लखनऊ

अशु कुमार विश्वा
संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ो०यो०)
कृषि भवन, लखनऊ।

6- कृषकों के चयन हेतु पात्रता एवं क्लस्टर का गठन—योजना अन्तर्गत वही कृषक पात्र होंगे जो कि गोवंश पालते हों अथवा निकटतम स्थापित गोशाला से गोवंश अधिग्रहण हेतु इच्छुक हों। एक कृषक को अधिकतम एक हेक्टेयर क्षेत्रफल की सीमा तक योजनान्तर्गत वित्तीय लाभ अनुमन्य होगा।

उपरोक्त इच्छुक कृषकों को गोशाला से गोवंश अधिग्रहण/गोद लेने के विषयगत संबंधित विभाग द्वारा यथा पशुधन विभाग द्वारा गोवंश संरक्षण हेतु अनुमन्य अनुदान भी तदनुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

7- क्षमता विकास, हैण्डहोल्डिंग, डाटा प्रबंधन, अभिलेखीकरण व अनुश्रवण हेतु को-ऑर्डिनेशन कमेटी का गठन -

क्लस्टर के हैण्डहोल्डिंग, क्षमता विकास, अभिलेखीकरण तथा डाटा प्रबंधन हेतु को-ऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जायेगा। इस हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की जायेगी, जिसमें उप कृषि निदेशक-सदस्य सचिव, जिला उद्यान अधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, कृषि विज्ञान केन्द्र के अधिकारी/वैज्ञानिक एवं मुख्य पशु चिकित्साधिकारी सदस्य होंगे।

समिति द्वारा माहवार बैठक का आयोजन किया जायेगा, जिसमें योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की जायेगी। क्लस्टर में बायो-इनपुट-वितरण, क्लस्टर हेतु माइक्रो एक्शन प्लान की स्वीकृति तथा अन्य महत्वपूर्ण सुझाव दिये जाने का दायित्व जिला स्तरीय समिति का होगा।

इसी प्रकार मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में योजना का अनुश्रवण एवं समीक्षा हेतु समिति गठित की जायेगी, जिसमें मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, सदस्य सचिव होंगे एवं पशुपालन, गन्ना एवं उद्यान विभाग के मण्डल स्तरीय अधिकारी सदस्य होंगे। निदेशालय स्तर पर योजना की समीक्षा कृषि निदेशक द्वारा की जायेगी। शासन स्तर पर योजना का अनुश्रवण एवं समीक्षा अपर मुख्य सचिव, कृषि की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जायेगी, जिसमें कृषि निदेशक सदस्य सचिव होंगे। समिति के अन्य सदस्यों में कृषि विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि, निदेशक पशुपालन, निदेशक उद्यान होंगे।

8- क्लस्टर में योजना के क्रियान्वयन हेतु संगठनात्मक ढांचा-

एक ही पंचायत अथवा अधिकतम दो ग्राम पंचायतों को सम्मिलित कर 50 हे० का एक क्लस्टर गठित किया जायेगा। इस प्रकार ब्लाक स्तर पर बनाये गये 10 क्लस्टरों में आच्छादित 500 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जायेगा। न्याय पंचायत स्तर पर तैनात प्राविधिक सहायक(ग्रुप-सी) क्लस्टर के प्रभारी होंगे। इसी प्रकार विकास खण्ड स्तर पर योजना के अनुश्रवण हेतु सहायक विकास अधिकारी(कृषि) की अध्यक्षता में ब्लाक स्तरीय को-ऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जायेगा, जो कि ब्लाक स्तरीय को-ऑर्डिनेशन कमेटी के भी प्रभारी होंगे। स्थानीय स्तर पर विभाग में कार्यरत ए०टी०एम०, बी०टी०एम०, प्राविधिक सहायक एवं विकास खण्ड स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों को प्राकृतिक खेती विषय पर क्षमता विकास कर प्रशिक्षित किया जायेगा।


(बी० के० कौशल)
प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
कृषि भवन, लखनऊ

उपरोक्त योजनान्तर्गत क्लस्टर स्तर पर कृषकों के साथ संवाद कर उनकी क्षमता संवर्द्धन एवं उपरोक्त योजनान्तर्गत विभिन्न क्रियान्वित होने वाली गतिविधियों के विषयगत कार्यों के समुचित संयोजन के लिये उक्त को-आर्डिनेशन कमेटी में संबंधित क्लस्टर हेतु यथा संभव स्थानीय कृषकों में से समिति के अन्तर्गत क्लस्टर को-आर्डिनेटर-चौम्पियन फार्मर एवं कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के रूप में कृषकों को कमेटी का सदस्य बनाया जायेगा। इस प्रकारविकास खण्ड स्तर पर योजनान्तर्गत चिन्हित कुल 500 हे० क्षेत्रफल के क्रियान्वयन हेतु 10 कोआर्डिनेटर चौम्पियन फार्मर तथा 10 कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन कमेटी में नामित किये जायेंगे। प्रत्येक कोआर्डिनेटर चौम्पियन फार्मर तथाकम्युनिटी रिसोर्स पर्सन स्वयं से सम्बन्धित 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल के चिन्हित क्लस्टर हेतु योजना के क्रियान्वयन विषयक सम्पादित होने वाली गतिविधियों हेतु सक्रिय भूमिका निभायेंगे।

इस प्रकार विकासखण्ड स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी कमेटी एक प्रकार से माइक्रो मैनेजमेंट के सिद्धांत पर चौम्पियन फार्मर-क्लस्टर को-आर्डिनेटर से लेकर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक तक किसानों की एकसक्रियशृंखला के माध्यम से अपने क्लस्टर में निर्धारित क्षेत्र में योजना के समस्त घटकों और सुसंगत गतिविधियों के भली-भाँति प्रगति सुनिश्चित किये जाने के विषयगत संगठनात्मक रूप से योगदान करेंगे।

उपरोक्त संगठनात्मक कार्य करने के लिये दक्ष एवं परंपरागत कृषि प्रक्रिया के विषयगत जानकार तथा उपरोक्त प्राकृतिक खेती पद्धति में कृषि करने विषयक विशिष्ट ज्ञान एवं कौशल रखने वाले स्थानीय कृषकों को समिति का सदस्य बनाये जाने के विषयगत वरीयतासुनिश्चित की जायेगी।

9- कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केन्द्र की सहभागिता -

प्राकृतिक खेती विधा के सामायिक डाक्यूमेंटेशन एवं वैलिडेशन का दायित्व प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय एवं सम्बन्धित जनपदों में स्थापित कृषि विज्ञान केन्द्र का होगा। कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों द्वारा भी कृषकों एवं रिसोर्स पर्सन के क्षमता विकास तथा ट्रेनिंग मॉड्यूल विकसित करने में सहयोग प्रदान किया जायेगा। सीजन एवं एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अनुसार प्रदेश के सम्बन्धित जनपदों के अलग-अलग क्षेत्रों में ली जाने वाली फसलों की संस्तुति भी संबंधित कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा किया जायेगा। स्थानीय स्तर पर योजनान्तर्गत रिसर्च एन्ड डेवलपमेंट के कार्यों हेतु ICAR सम्बद्ध संस्थान एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालय उत्तरदायी होंगे। ICAR एवं राज्य सरकार के संस्थानों को आवश्यकतानुसार योजना से जोड़ा जायेगा।


(वी० के० कौशल)
प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
कृषि भवन, लखनऊ


अंशु कुमार विश्नोई
संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ो०यो०)
कृषि भवन, लखनऊ।

10- ब्लाक स्तरीय को-आर्डिनेशन कमेटी में नामित कृषकों के संगठनात्मक ढांचे का स्वरूप-

क्र० सं०	नामित सदस्य	नामांकन वरीयता मानदण्ड	अपेक्षित दायित्व
1	क्लस्टर को-आर्डिनेटर /चौम्पियन कृषक	• जो कृषक प्राकृतिक विधा से खेती कर रहे हों तथा अपने प्रक्षेत्र पर फार्मरस फील्ड स्कूल आयोजन कराने की क्षमता रखते हो। • केन्द्र अथवा राज्य से कृषि क्षेत्र में पुरष्कृत कृषक जो कि प्राकृतिक खेती विधि से खेती कर रहे हो।	•फार्मरस फील्ड स्कूल का आयोजन। स्थानीय स्तर पर कृषकों को प्रशिक्षण प्रदान करना तथा जागरूक करना। •क्लस्टर स्तर पर योजना का अनुश्रवण एवं समीक्षा में सहयोग करना। •क्लस्टर के अन्तर्गत इन्डीजनियस नालेज सिस्टम (स्वदेशी ज्ञान प्रणाली),जर्म प्लाज्म संरक्षण तथा डिमान्सट्रेशन प्लाटस (फील्ड प्रदर्शन) के क्रियाकलापों को क्रियान्वित करना।
2	कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक	•प्राकृतिक खेती की विधा में क्लस्टर के भिन्न कृषक।	•आवेदन के संग्रहण और प्रसंस्करण की सुविधा के लिये पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल में किसान का पंजीकरण, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना और गतिविधियों का अभिलेखीकरण। •कृषि विभाग के कर्मचारियों/ अधिकारियों और कृषक समुदाय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हुये राज्य सरकार, केन्द्र प्रायोजित और विभाग की अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन को सुगम बनाना। •पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल पंजीकरण, डेटा अपडेशन आदि के लिये किसानों को सुविधा प्रदान करना।

नोट- यथासंभव को-आर्डिनेशन कमेटी में नामित होने वाले कृषकों हेतु वर्णित वरीयता मानदण्ड को अपनाया जायेगा तथापि वरीयता मानदण्ड में वर्णित कृषकों की श्रेणी में इच्छुक कृषकों की उपलब्धता न होने की दशा में उपरोक्त कार्यक्रम के प्रति समर्पित रूप से योगदान देने वाले सक्रिय एवं जानकार स्थानीय कृषकों को नामित किये जाने के विषयगत प्रस्ताव के संदर्भ में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विचार कर तदनुसार नामित किया जा सकेगा। क्लस्टर हेतु तदनुसार उत्प्रेरक की भूमिका निभाने वाले उक्त चौम्पियनकृषककम्युनिटीरिसोर्सपर्सनकृषक यथा सम्भव उसी ग्राम पंचायत के होने चाहिए जिनमें क्लस्टर चिन्हांकित हैं और स्वयं उनके द्वारा अनिवार्य रूप से प्राकृतिक खेती की विधा को अपनाया जा रहा है।


(पी० के० कौशल)
प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
कृषि भवन, लखनऊ


अंशु कुमार मिश्रा
संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ो०यो०)
कृषि भवन, लखनऊ।

11- क्लस्टर को-आर्डिनेटर/कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन हेतु प्रोत्साहन-

उपरोक्त को-आर्डिनेशन कमेटी द्वारा क्लस्टर को-आर्डिनेटर एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन के माध्यम से किये जाने वाले कार्यकलापों हेतु योजनान्तर्गत सम्बन्धित प्रशासनिक मद में प्राविधानित धनराशि के अनुरूप वार्षिक रूप से ₹0 36000/- को-आर्डिनेटर द्वारा सम्पादित कार्यों के विषयगत प्रोत्साहन मानदेय के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा और इसी प्रकार कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन के स्तर से योजना के क्रियान्वयन हेतु किये जा रहे कार्यकलापों के लिये ₹0 30000/- की धनराशि वर्ष में प्रोत्साहन मानदेय के रूप में प्रशासनिक मद की धनराशि से अनुमन्य रहेगी।

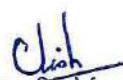
उक्तानुसार प्राविधानित प्रोत्साहन मद की धनराशि को यथासम्भव त्रैमासिक रूप से समानुपातिक अधिकतम देयता (यथा चौम्पियन फार्मर हेतु ₹0 36000/4=9000.00 त्रैमासिक कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन हेतु ₹0 30000/4=7500.00 त्रैमासिक अधिकतम) अनुमन्य रहेगी जोकि उपरोक्त कृषकों के द्वारा उक्त त्रैमासिक में योजनान्तर्गत उनके द्वारा अपेक्षित गतिविधियों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप उन्हें प्रोत्साहन के रूप में अनुमन्य किया जायेगा। अर्थात् उपरोक्त कमेटी के अन्तर्गत योजना हेतु क्लस्टर के कृषकों का नेतृत्व करने तथा क्षमता संवर्द्धन करने हेतु Lead by example एवं अन्य यथा आवश्यक गतिविधियों को सुनिश्चित करने हेतु सक्रिय रूप से सहयोग करने के दृष्टिगत प्रतिभागी क्लस्टर को-ऑर्डिनेटर व कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन कृषकों को उपरोक्तानुसार परियोजना में मनोबल बनाये रखने हेतु उक्त प्रशासनिक मद की धनराशि प्रोत्साहन भत्ते के रूप में अनुमन्य की जायेगी।

12- प्रत्येक क्लस्टर हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था-

चिन्हित प्रत्येक क्लस्टर के कृषकों को आरंभिक 02 वर्षों में प्रशिक्षण दिया जायेगा। विकासखण्ड स्तर पर गठित समिति द्वारा प्रशिक्षण, एक्पोजर विजिट एवं क्लस्टर गठन के कार्यों को सम्पादित किया जायेगा।

योजना के व्यावहारिक पहलुओं पर प्रशिक्षण किये जाने एवं कृषकों के क्षमता संवर्द्धन के उद्देश्य से प्रत्येक क्लस्टर पर एक फारमर्स फ़िल्ड स्कूल का भी कार्यक्रम योजना के प्रथम वर्ष में आयोजित किया जायेगा। इस प्रकार फारमर्स फ़ील्ड स्कूल के माध्यम से भी स्थानीय स्तर पर प्रत्येक चयनित क्लस्टर के कृषकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।


(वी० के० कौशल)
विविधिक अधिकारी (गोमती)
कृषि भवन, लखनऊ


अंशु कुमार विशनोई
संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ो०यो०)
कृषि भवन, लखनऊ।

जनपदवार चयनित क्षेत्रफल एवं अन्य विवरण:-
वर्ष-2022-23 से 2025-26

क्र०सं०	जनपद का नाम	विकास खण्ड (संख्या)	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्लस्टर की संख्या
1	बिजनौर	4	1200	24
2	मुजफ्फरनगर	2	1050	21
3	मेरठ	2	2050	41
4	हापुड़	1	600	12
5	बुलन्दशहर	4	2000	40
6	अमरोहा	4	2000	40
7	संभल	3	1550	31
8	कासगंज	3	1700	34
9	अलीगढ़	1	500	10
10	बदायूँ	5	2500	50
11	शाहजहाँपुर	2	1000	20
12	हरदोई	2	1000	20
13	फर्रुखाबाद	5	3500	70
14	कन्नौज	2	1000	20
15	कानपुर नगर	4	2000	40
16	उन्नाव	8	4000	80
17	राय बरेली	5	5000	100
18	फतेहपुर	6	5500	110
19	प्रतापगढ़	2	1100	22
20	कौशाम्बी	3	2600	52
21	प्रयागराज	10	7000	140
22	मिर्जापुर	8	4250	85
23	भदोही	2	1000	20
24	चन्दौली	3	1000	20
25	गाजीपुर	9	4600	92
26	बलिया	5	2500	50
27	बाराबंकी	1	1000	20
28	अयोध्या	2	1200	24
29	सुल्तानपुर	1	1000	20

क०सं०	जनपद का नाम	विकास खण्ड (संख्या)	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्लस्टर की संख्या
30	अमेठी	1	1000	20
31	लखनऊ	2	1000	20
32	सीतापुर	1	1060	21
33	लखीमपुर खीरी	2	1000	20
34	बहराइच	1	500	10
35	श्रावस्ती	2	1000	20
36	बलरामपुर	2	1150	23
37	बस्ती	1	1050	21
38	गोरखपुर	2	1400	28
39	देवरिया	1	500	10
40	कानपुर देहात	2	1100	22
41	औरैया	2	1200	24
42	इटवा	2	1000	20
43	मैनपुरी	2	1000	20
44	आगरा	2	1300	26
45	मथुरा	2	1000	20
46	सोनभद्र	2	1000	20
47	पीलीभीत	2	1000	20
48	शामली	2	1050	21
49	सहारनपुर	2	1000	20
कुल योग-		144	85710	1714


 क० कौशल)
 प्रावि. अधिकारी (गोमती)
 वन, लखनऊ


 अंशु कुमार विश्वा
 संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ोपशो)
 कृषि भवन, लखनऊ।

योजना अन्तर्गत वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का संक्षिप्त विवरण

भौतिक लक्ष्य	
कुल जनपद (संख्या)	49
कुल विकास खण्ड (संख्या)	144
कुल चयनित क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	85710
कुल चयनित कृषक (संख्या)	1.00 लाख (लगभग)

वर्षवार वित्तीय लक्ष्य	केन्द्रांश	राज्यांश	योग
प्रथम वर्ष 2022-23	2764.353	1842.902	4607.26
द्वितीय वर्ष 2023-24	6810.4326	4540.2884	11350.72
तृतीय वर्ष 2024-25	2911.2258	1940.8172	4852.04
चतुर्थ वर्ष 2025-26	2814.972	1876.648	4691.62
योग-	15300.98	10200.66	25501.64

JS

(वी० कें० कौशल)
प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
कृषि भवन, लखनऊ

Chh
अंशु कुमार विश्वा
संयुक्त कृषि निदेशक (गोमती)
कृषि भवन, लखनऊ

15- विपणन व्यवस्था, प्रचार-प्रसार एवं मृदा परीक्षण-

प्राकृतिक खेती से जुड़े कृषकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती उनके उत्पाद का विपणन है। अतः कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार तभी सम्भव होगा जबकि उनके उत्पाद का प्रीमियम लागत पर विक्रय हो सके।

योजना का प्रभाव मृदा परीक्षण के माध्यम से जीवांश कार्बन में वृद्धि के आंकलन से किया जायेगा, जिस हेतु योजना में द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में मृदा नमूना एकत्रीकरण एवं परीक्षण किया जायेगा।

16- योजना का लाभ-

- (अ) जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव के दृष्टिगत कृषि उत्पादन में स्थायित्व लाना।
- (ब) मृदा की उर्वरा शक्ति तथा जीवांश कार्बन में बढ़ोत्तरी करना।
- (स) इनपुट लागत में कमी तथा प्राकृतिक उत्पाद का प्रीमियम लागत प्राप्त कर कृषकों के आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना।
- (द) रसायन एवं पेस्टीसाइड मुक्त खाद्य उत्पाद प्राप्त करना।
- (य) बुन्देलखण्ड में छुट्टा गोवंश की समस्या के समाधान में सहायक होना।
- (र) योजना में स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होगा।
- (ल) रसायनिक उर्वरक के उपभोग में कमी से विदेशी मुद्रा की बचत।


(वी० के० कौशल)
प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
कृषि भवन, लखनऊ


अंशु कुमार विशनोई
संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ो०यो०)
कृषि भवन, लखनऊ।

फार्मर्स फील्ड स्कूल

प्राकृतिक खेती कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दृष्टिगत फार्मर्स फील्ड स्कूल का आयोजन किया जायेगा। जैसा कि सर्वविदित है कि प्राकृतिक खेती नॉलेज इन्टेसिव कृषि की विधा है, जिसे कृषकों के मध्य लोकप्रिय बनाने हेतु फार्मर्स फील्ड स्कूल के आयोजन की आवश्यकता है। अतः क्लस्टर गठन से पूर्व फार्मर्स फील्ड स्कूल का आयोजन किया जाना नितान्त आवश्यक है, जिससे कि कृषकों को सर्वप्रथम Learning by Doing के माध्यम से इस विधा को अपनाने हेतु प्रेरित हो सके। प्रत्येक फार्मर्स फील्ड स्कूल के आयोजन पर मदवार वित्तीय लागत निम्नवत् है:-

फार्मर्स फील्ड स्कूल (FFS) के आयोजन पर व्यय रू० 90800 प्रति FFS

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति हे० रू० में	लागत प्रति क्लस्टर रू० में
1	2	3	4	5
1	क्लस्टर के प्रतिभागियों के 14 प्रशिक्षण सत्रों के लिये जलपान व्यवस्था पर व्यय	हेक्टेयर	280	14000
2	प्रक्षेत्र दिवस के शुभारम्भ हेतु बैनर आदि के लिये आकस्मिक व्यय	हेक्टेयर	96	4800
3	प्राकृतिक खेती किट रू० 1200 प्रति हेक्टेयर हेतु	हेक्टेयर	1200	60000
4	साहित्य एवं प्रशिक्षण सामग्री आदि	हेक्टेयर	140	7000
5	पूरे सीजन के लिये विशेषज्ञों एवं फैसिलिटेटरों के लिये मानदेय (रू० 2500 प्रति विशेषज्ञ पूरे सीजन के लिये -2 नग)	हेक्टेयर	100	5000
	योग-		1816	90800

नोट- प्रत्येक 04 क्लस्टर पर 05 FFS का आयोजन किया जायेगा।


 (वी० के० कौशल)
 प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
 कृषि भवन, लखनऊ


 अंशु कुमार विशनोई
 संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ो०यो०)
 कृषि भवन, लखनऊ

➤ योजना का क्रियान्वयन (पी0जी0एस0-इण्डिया) :-

योजना का प्रमाधी करण के कार्य का क्रियान्वयन क्लस्टर आधारित एवं भारत की सहभागिता जैविक प्रतिभूति प्रणाली (पी0जी0एस0-इण्डिया) के दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा। पी0जी0एस0-इण्डिया की गाइडलाइन राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र (NCOF) द्वारा निर्गत की गयी है।

जैविक प्रतिभूति (गारण्टी) पद्धति को सर्वसुलभ बनाने हेतु स्थानीय बाजार व लघु उत्पादक समूहों के लिये अनेक वैकल्पिक प्रतिभूति प्रणालियां विकसित की गयी हैं। ऐसी सभी वैकल्पिक प्रणालियों को सामूहिक रूप से सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली (पी0जी0एस0) के नाम से जाना जाता है। पी0जी0एस0 जैविक आश्वासन प्रक्रिया में सभी उत्पादकों व अन्य भागीदारों की सक्रिय सहभागिता उसका मूल आधार है। आईफोम (IFOAM) (2008) की परिभाषा के अनुसार-

“सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली स्थानीयता केन्द्रित एक ऐसी गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया है जिसमें उत्पादकों का प्रमाणीकरण सभी भागीदारों की सहभागिता सुनिश्चित कर किया जाता है। आपसी विश्वास, सामाजिक जुड़ाव तथा ज्ञान का आदान प्रदान इसके आधारभूत तत्व हैं।”

पी0जी0एस0 प्रक्रिया में समूह सदस्य (लघु जोत किसान एवं उत्पादक) समान परिस्थितियों में एक दूसरे की उत्पादन प्रक्रिया का मूल्यांकन, निरीक्षण एवं जांच कर सम्मिलित रूप में पूरे समूह की कुल जोत को प्रमाणित करते हैं।

➤ योजना क्रियान्वयन एवं अन्य विभागों से समन्वय-

- प्राकृतिक खेती योजना का क्रियान्वयन जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा किया जायेगा। कार्यों के निष्पादन हेतु उप कृषि निदेशक द्वारा योजना का नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा।
- मण्डल स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक उत्तरदायी होंगे।
- राज्य स्तर- राज्य स्तर पर कार्यक्रम का संचालन कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश के मार्ग निर्देशन में योजना के नोडल अधिकारी द्वारा अपर कृषि निदेशक (चावल) के पर्यवेक्षण में किया जायेगा, जो योजना के निर्देशानुसार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेंगे।

(वी0 के0 कौशल)
प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
कृषि भवन, लखनऊ

अंशु कुमार विश्वासी
संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ो०यो०)
कृषि भवन, लखनऊ।

➤ योजना के अन्तर्गत कार्य सत्यापन एवं भुगतान की प्रक्रिया :-

- समस्त भुगतान वित्तीय नियमों का पालन करते हुए PFMS पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। कृषकों को दी जाने वाली सहायता DBT (Direct Benefit Transfer) के अन्तर्गत हस्तांतरित की जायेगी।
- योजना के अन्तर्गत निष्पादित कार्यों का 100 % सत्यापन क्लस्टर के नोडल अधिकारी, 20 % सत्यापन उप कृषि निदेशक द्वारा किया जायेगा। मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा अधीनस्थ प्रत्येक जनपद 5 % कार्यों का सत्यापन किया जायेगा।

➤ योजना की समीक्षा-

- योजना का विवरण आनलाइन/विभागीय वेबसाइट पर रखा जायेगा।
- क्लस्टर स्तर पर क्लस्टर के नोडल अधिकारी द्वारा प्रगति रिपोर्ट जनपद के उप कृषि निदेशक को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध करायी जायेगी। (परिशिष्ट-2)
- जनपद स्तर पर उप कृषि निदेशक नोडल अधिकारी होंगे जो जनपद की संकलित सूचना मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक एवं योजना के राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी (कृषि निदेशालय) को प्रत्येक माह की 5 तारीख को उपलब्ध करायेंगे। (परिशिष्ट-2)
- राज्य स्तर से सूचनाओं को संकलित कराकर कृषि निदेशक, उ0प्र0 द्वारा शासन को प्रेषित की जायेगी।


(वी0 के0 कौशल)
प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
कृषि भवन, लखनऊ


अंशु कुमार विशनोई
संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ो0यो0)
कृषि भवन, लखनऊ।

प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

1. योजनान्तर्गत सर्वप्रथम उन्हीं कृषकों का चयन किया जायेगा जिनके पास अधिक कृषित क्षेत्रफल हो तथा सम्पूर्ण क्षेत्रफल के स्थान पर ऐसे कृषकों के आंशिक क्षेत्रफल को ही सम्मिलित किया जाय।
2. एक फार्मरस् फील्ड स्कूल (FFS) का आयोजन यथा सम्भव ग्राम पंचायत स्तर पर अथवा अन्यथा की दशा में आस-पास के दो ग्राम पंचायतों को मिलाकर किया जायेगा जहाँ पर क्लस्टर गठित किये जाने हैं।
3. फार्मरस् फील्ड स्कूल का आयोजन उन कृषकों के प्रक्षेत्र पर किया जायेगा जो कि पूर्व से प्राकृतिक विधा से खेती कर रहे हैं तथा ऐसे कृषकों को क्लस्टर के अन्तर्गत भी चयनित किया जायेगा।
4. फार्मरस् फील्ड स्कूल आयोजन के अन्तर्गत एक्सपर्ट एवं फेसिलिटेटर के लिए प्राकृतिक खेती में अनुभव प्राप्त कृषक एवं अन्य एक्सपर्ट को हायर किया जायेगा।
5. योजना के भौतिक-वित्तीय लक्ष्यों का अनुमोदन जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।
6. फार्मरस् फील्ड स्कूल का आयोजन रबी-2022 एवं खरीफ एवं रबी-2023 में किया जायेगा।

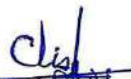

(वी० के० कौशल)
प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
कृषि भवन, लखनऊ


अंशु कुमार मिश्रा
संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ो०यो०)
कृषि भवन, लखनऊ।

नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना अन्तर्गत समय सारणी

क्र०सं०	क्रियाकलाप	निर्धारित तिथि
1	प्राकृतिक खेती हेतु ग्राम पंचायत/ग्राम तथा क्षेत्रफल का चिन्हांकन।	पूर्ण
2	फार्मर्स फील्ड स्कूल के आयोजन हेतु स्थल का चयन कर निदेशालय को सूचना उपलब्ध कराना।	10 सितम्बर तक
3	चैम्पियन फार्मर एवं कम्युनिटी रिसोर्स परसन का चयन कर निदेशालय को सूचना उपलब्ध कराना।	15 सितम्बर तक
4	फार्मर्स फील्ड स्कूल के आयोजन हेतु कृषक का चयन कर निदेशालय को सूचना उपलब्ध कराना।	15 सितम्बर तक
5	फार्मर्स फील्ड स्कूल का आयोजन।	रबी सीजन-2022 (01 अक्टूबर से प्रारम्भ)
6	एफ०एफ०एस० के आयोजन के उपरान्त क्लस्टर गठन एवं कृषक चयन (अंतिम सूची) की कार्यवाही पूर्ण करते हुए निदेशालय को सूची उपलब्ध कराना।	30 अक्टूबर तक
7	डैश बोर्ड की स्थापना।	30 नवम्बर तक
8	प्रशिक्षण कार्यक्रम।	30 नवम्बर से 31 दिसम्बर 2022 तक
9	कृषकों का प्रमाणीकरण हेतु पंजीकरण।	31 दिसम्बर, 2022 से 31 जनवरी, 2023 तक


 (पी० के० कौशल)
 प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
 कृषि भवन, लखनऊ


 अंशु कुमार विश्नोई
 संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ोयोग)
 कृषि भवन, लखनऊ

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

(वित्तीय लाख रु0 में)

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (85710 हे0 क्षेत्रफल)

उत्तर प्रदेश

क्रम सं0	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय रु0 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे0 क्षेत्र में 125 FFS)	प्रति FFS	90800	2143	1945.62	0	0	0	0	0	0	2143	1945.617
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (रु0 3000 प्रति माह) एवं एक कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (रु0 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे0 हेतु रु0 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल रु0 2.40 लाख प्रति 50 हे0)	हेक्टेयर	1200	85710	1028.520	85710	1028.520	85710	1028.520	85710	1028.520	342840	4114.080
3	ब्लाक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे0 प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	85710	428.550	0	0	0	0	0	0	85710	428.550
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) रु0 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	85710	257.130	85710	257.130	0	0	0	0	171420	514.260
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डी0बी0टी0 के रूप में किसानों को सहायता रु0 15000 प्रति हे0 50 हेक्टेयर हेतु कुल रु0 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1200	0	0	85710	1028.520	85710	1028.520	85710	1028.520	257130	3085.560
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@Rs3600.00/हेक्टेयर /तीन वर्ष(रु0 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	6000	0	0	85710	5142.600	0	0	0	0	85710	5142.600
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (ड्रम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैनुअल/पावर आपरेटिड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@Rs 6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	85710	5142.600	0	0	0	0	85710	5142.600

अंशु कुमार विश्वासी

संयुक्त कृषि निदेशक (गडो०गो०)
कृषि भवन, लखनऊ।

प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
कृषि भवन, लखनऊ

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैन्योरिंग) प्रबंधन @Rs 3600. 00 / हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु 1200. 00 / हेक्टेयर / वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	85710	1028.520	85710	1028.520	85710	1028.520	257130	3085.560
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000. 00 / हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	85710	857.100	0	0	0	0	85710	857.100
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कंट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु 400 प्रति हे 0	हेक्टेयर	400	0	0	85710	342.840	85710	342.840	0	0	171420	685.680
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु 1000 प्रति हे 0 प्रतिवर्ष रु 2.00 लाख प्रति 50 हे 0 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	85710	857.100	85710	857.100	85710	857.100	85710	857.100	342840	3428.400
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मृदा स्वास्थ्य ट्रैकिंग तथा ICAR एवं SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु 2000 प्रति हे 0												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु 575. 25 प्रति हे 0 तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु 550 प्रति हे 0	हेक्टेयर	1675.25	0	0	85710	493.047	85710	471.405	85710	471.405	257130	1435.857
7.2	मृदा स्वास्थ्य हेतु मृदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मृदा नमूना/कृषक (प्रति 02 हे 0 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	42855	92.781	0	0	85710	185.562	128565	278.343
	योग- (ब)				4516.917		11128.158		4756.905		4599.627		25001.607
		मुख्यालय			45.169		111.282		47.569		45.996		250.016
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	जनपद			45.169		111.282		47.569		45.996		250.016
	महायोग				4607.255		11350.721		4852.043		4691.620		25501.639


 (सी० कं० कौशल)
 प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
 कृषि भवन, लखनऊ


 संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ोयोग)
 कृषि भवन, लखनऊ।

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

जनपद का नाम- बिजनौर

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (1200 हे० क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख रु० में)

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्म स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय रु० 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	30	27.240	0	0	0	0	0	0	30	27.240
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (रु० 3000 प्रति माह) एवं एक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (रु० 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु रु० 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल रु० 2.40 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	1200	14.400	1200	14.400	1200	14.400	1200	14.400	4800	57.600
3	ब्लाक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	1200	6.000	0	0	0	0	0	0	1200	6.000
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) रु० 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	1200	3.600	1200	3.600	0	0	0	0	2400	7.200
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डी0बी0टी0 के रूप में किसानों को सहायता रु० 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल रु० 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु												
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@Rs3600.00/हेक्टेयर /तीन वर्ष(रु० 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1200	14.400	1200	14.400	1200	14.400	3600	43.200
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (ड्रम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैनुअल/पावर आपरेटेड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@Rs 6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	1200	72.000	0	0	0	0	1200	72.000

(वी० कं० कौशल)

प्राथमिक अधिकारी (गोमती)

कृषि भवन, लखनऊ

18

संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ोपग्रह) कृषि भवन, लखनऊ।

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैनोरिंग) प्रबंधन @Rs 3600.00 / हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु 1200.00 / हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1200	14.400	1200	14.400	1200	14.400	3600	43.200
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000.00 / हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	1200	12.000	0	0	0	0	1200	12.000
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कन्ट्रोल जैसे नीम आयल / नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु 400 प्रति हे०	हेक्टेयर	400	0	0	1200	4.800	1200	4.800	0	0	2400	9.600
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु 1000 प्रति हे० प्रतिवर्ष रु 200 लाख प्रति 50 हे० 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	1200	12.000	1200	12.000	1200	12.000	1200	12.000	4800	48.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मुदा स्वास्थ्य ट्रेकिंग तथा ICAR एवं SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु 2000 प्रति हे०												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु 575.25 प्रति हे० तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु 550 प्रति हे०	हेक्टेयर	1675.25	0	0	1200	6.903	1200	6.600	1200	6.600	3600	20.103
7.2	मुदा स्वास्थ्य हेतु मुदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मुदा नमूना / कृषक (प्रति 02 हे० 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	600	1.299	0	0	1200	2.598	1800	3.897
	योग- (ब)				63.240		155.802		66.600		64.398		350.040
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	मुख्यालय			0.632		1.558		0.666		0.644		3.500
	महायोग	जनपद			0.632		1.558		0.666		0.644		3.500
					64.505		158.918		67.932		65.686		357.041

02/

(वी० वें० कौशाल)
प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
कृषि विभाग, लखनऊ।

अंशु कुमार शर्मा
संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ोपशो)
कृषि भवन, लखनऊ।

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

जनपद का नाम- मुजफ्फरनगर

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (1050 हे० क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख ₹० में)

क्रम० सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय ₹० 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	26	23.835	0	0	0	0	0	0	26	23.835
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (₹० 3000 प्रति माह) एवं एक कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (₹० 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु ₹० 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल ₹० 2.40 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	1050	12.600	1050	12.600	1050	12.600	1050	12.600	4200	50.400
3	ब्लॉक स्तरीय कार्यन्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	1050	5.250	0	0	0	0	0	0	1050	5.250
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) ₹० 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	1050	3.150	1050	3.150	0	0	0	0	2100	6.300
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डी०बी०टी० के रूप में किसानों को सहायता ₹० 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल ₹० 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु												
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@₹3500.00/हेक्टेयर /तीन वर्ष(₹० 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1050	12.600	1050	12.600	1050	12.600	3150	37.800
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (ड्रम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैनुअल/पावर आपरेटड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@₹6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	1050	63.000	0	0	0	0	1050	63.000

अंग्रेजी में लिखना है

प्राविधिक अधिकारी (गोमती)

संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ोयोग)

कृषि भवन, लखनऊ

20

कृषि भवन, लखनऊ

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैन्योरिंग) प्रबंधन @Rs 3600.00/ हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु० 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1050	12.600	1050	12.600	1050	12.600	3150	37.800
5.4	प्राकृतिक खेती में लेण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000.00/ हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	1050	10.500	0	0	0	0	1050	10.500
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कन्ट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु० 400 प्रति हे०	हेक्टेयर	400	0	0	1050	4.200	1050	4.200	0	0	2100	8.400
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु० 1000 प्रति हे० प्रतिवर्ष रु० 2.00 लाख प्रति 50 हे० 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	1050	10.500	1050	10.500	1050	10.500	1050	10.500	4200	42.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मुदा स्वास्थ्य ट्रेकिंग तथा ICAR एवं SAUS के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु० 2000 प्रति हे०												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु० 575.25 प्रति हे० तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु० 550 प्रति हे०	हेक्टेयर	1675.25	0	0	1050	6.040	1050	5.775	1050	5.775	3150	17.590
7.2	मुदा स्वास्थ्य हेतु मुदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मुदा नमूना / कृषक (प्रति 02 हे० 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	525	1.137	0	0	1050	2.273	1575	3.410
	योग- (ब)				55.335		136.327		58.275		56.348		306.285
		मुख्यालय			0.553		1.363		0.583		0.563		3.063
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	जनपद			0.553		1.363		0.583		0.563		3.063
	महायोग				56.442		139.053		59.441		57.475		312.411

01/11/20

(बी० कैं० कौशाल)
राजस्थान कृषि विभाग (गोमती)

कृषि भवन, लखनऊ

21

अनु कुमार विस्मई
संयुक्त कृषि निदेशक (बायो-बैट)
कृषि भवन, लखनऊ

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

जनपद का नाम- मेरठ

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (2050 हे० क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख ₹० में)

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय ₹० 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	51	46.535	0	0	0	0	0	0	51	46.535
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (₹० 3000 प्रति माह) एवं एक कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (₹० 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु ₹० 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल ₹० 2.40 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	2050	24.600	2050	24.600	2050	24.600	2050	24.600	8200	98.400
3	ब्लाक स्तरीय कार्यन्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	2050	10.250	0	0	0	0	0	0	2050	10.250
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) ₹० 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	2050	6.150	2050	6.150	0	0	0	0	4100	12.300
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डी०बी०टी० के रूप में किसानों को सहायता ₹० 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल ₹० 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु												
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@Rs3600.00/हेक्टेयर / तीन वर्ष(₹० 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	2050	24.600	2050	24.600	2050	24.600	6150	73.800
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (ड्रम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैनुअल/पावर आपरेटड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@Rs 6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	2050	123.000	0	0	0	0	2050	123.000

(वी० के० कौशाल)

प्रामाणिक अधिकारी (गोमती)

कृषि भवन, लखनऊ

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैन्योरिंग) प्रबंधन @Rs 3600.00/ हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु0 1200.00/ हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	2050	24.600	2050	24.600	2050	24.600	6150	73.800
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000.00/ हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	2050	20.500	0	0	0	0	2050	20.500
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कन्ट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु0 400 प्रति हे0	हेक्टेयर	400	0	0	2050	8.200	2050	8.200	0	0	4100	16.400
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु0 1000 प्रति हे0 प्रतिवर्ष रु0 2.00 लाख प्रति 50 हे0 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	2050	20.500	2050	20.500	2050	20.500	2050	20.500	8200	82.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मृदा स्वास्थ्य ट्रैकिंग तथा ICAR एवं SAUS के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु0 2000 प्रति हे0												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु0 575.25 प्रति हे0 तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु0 550 प्रति हे0	हेक्टेयर	1675.25	0	0	2050	11.793	2050	11.275	2050	11.275	6150	34.343
7.2	मृदा स्वास्थ्य हेतु मृदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मृदा नमूना/कृषक (प्रति 02 हे0 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	1025	2.219	0	0	2050	4.438	3075	6.657
	योग- (ब)				108.035		266.162		113.775		110.013		597.985
		मुख्यालय			1.080		2.662		1.138		1.100		5.980
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	जनपद			1.080		2.662		1.138		1.100		5.980
	महायोग				110.196		271.485		116.051		112.214		609.945

02/11/2023
(वी0 कं0 कौशल)
प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
लखनऊ

असु कुमार मिश्रा
संयुक्त कृषि निदेशक (बाह्योद्योग)
कृषि भवन, लखनऊ

23

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजानान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

जनपद का नाम- हापुड़

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (600 हे० क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख रु० में)

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय रु० 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	15	13.620	0	0	0	0	0	0	15	13.620
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (रु० 3000 प्रति माह) एवं एक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (रु० 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु रु० 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल रु० 2.40 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	600	7.200	600	7.200	600	7.200	600	7.200	2400	28.800
3	ब्लॉक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मनीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	600	3.000	0	0	0	0	0	0	600	3.000
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) रु० 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	600	1.800	600	1.800	0	0	0	0	1200	3.600
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डीबीटी0 के रूप में किसानों को सहायता रु० 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल रु० 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1200	0	0	600	7.200	600	7.200	600	7.200	1800	21.600
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@Rs3600.00/हेक्टेयर/तीन वर्ष(रु० 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	600	7.200	600	7.200	600	7.200	1800	21.600
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (ड्रम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैन्युअल/पावर आपरेटड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@Rs 6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	600	36.000	0	0	0	0	600	36.000

(वी० कै० कौशल)
प्रारम्भिक अधिकारी (नोमती)

कृषि भवन, लखनऊ

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
1	2	3	4	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैन्योरिंग) प्रबंधन @Rs 3600.00/ हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु० 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	600	7.200	600	7.200	600	7.200	1800	21.600
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000.00/ हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	500	6.000	0	0	0	0	600	6.000
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कंट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु० 400 प्रति हे०	हेक्टेयर	400	0	0	600	2.400	600	2.400	0	0	1200	4.800
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु० 1000 प्रति हे० प्रतिवर्ष रु० 2.00 लाख प्रति 50 हे० 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	600	6.000	600	6.000	600	6.000	600	6.000	2400	24.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मुदा स्वास्थ्य ट्रेकिंग तथा ICAR एवं SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु० 2000 प्रति हे०												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु० 575.25 प्रति हे० तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु० 550 प्रति हे०	हेक्टेयर	1675.25	0	0	600	3.452	600	3.300	600	3.300	1800	10.052
7.2	मुदा स्वास्थ्य हेतु मुदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मुदा नमूना/कृषक (प्रति 02 हे० 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	300	0.650	0	0	600	1.299	900	1.949
	योग- (ब)				31.620		77.901		33.300		32.199		175.020
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	मुख्यालय			0.316		0.779		0.333		0.322		1.750
		जनपद			0.316		0.779		0.333		0.322		1.750
	महायोग				32.252		79.459		33.966		32.843		178.520

QW

20 फे० कौशाल)
प्रांवाधिक अधिकारी (गोमती)
कृषि भवन, लखनऊ

अंश कुमार विश्वासे
संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ोयोग)
कृषि भवन, लखनऊ।

25

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

जनपद का नाम- बुलंदशहर

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (2000 हे० क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख ₹० में)

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्म स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय ₹० 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	50	45.400	0	0	0	0	0	0	50	45.400
2	क्लस्टर स्तरीय बैम्पियन कृषक एवं कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (₹० 3000 प्रति माह) एवं एक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (₹० 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु ₹० 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल ₹० 2.40 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	2000	24.000	2000	24.000	2000	24.000	2000	24.000	8000	96.000
3	ब्लाक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	2000	10.000	0	0	0	0	0	0	2000	10.000
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) ₹० 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	2000	6.000	2000	6.000	0	0	0	0	4000	12.000
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डी०बी०टी० के रूप में किसानों को सहायता ₹० 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल ₹० 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु												
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@Rs3600.00/हेक्टेयर /तीन वर्ष(₹० 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	2000	24.000	2000	24.000	2000	24.000	6000	72.000
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (झूम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैनुअल/पावर आपरेटड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@Rs 6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	2000	120.000	0	0	0	0	2000	120.000

अंशु-कुमार विश्नाई
Click

संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ोप्यो०)
कृषि भवन, लखनऊ।

ग्रामिणिक अधिकारी (गोमती)

कृषि भवन, लखनऊ

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैन्योरिंग) प्रबंधन @Rs 3600.00/ हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	2000	24.000	2000	24.000	2000	24.000	6000	72.000
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000.00/ हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	2000	20.000	0	0	0	0	2000	20.000
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कन्ट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु 400 प्रति हे०	हेक्टेयर	400	0	0	2000	8.000	2000	8.000	0	0	4000	16.000
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु 1000 प्रति हे० प्रतिवर्ष रु 2.00 लाख प्रति 50 हे० 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	2000	20.000	2000	20.000	2000	20.000	2000	20.000	8000	80.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मुदा स्वास्थ्य ट्रेकिंग तथा ICAR एवं SAUS के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु 2000 प्रति हे०												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु 575.25 प्रति हे० तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु 550 प्रति हे०	हेक्टेयर	1675.25	0	0	2000	11.505	2000	11.000	2000	11.000	6000	33.505
7.2	मुदा स्वास्थ्य हेतु मुदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मुदा नमूना/कृषक (प्रति 02 हे० 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	1000	2.165	0	0	2000	4.330	3000	6.495
	योग- (ब)				105.400		259.670		111.000		107.330		583.400
		मुख्यालय			1.054		2.597		1.110		1.073		5.834
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	जनपद			1.054		2.597		1.110		1.073		5.834
	महायोग				107.508		264.863		113.220		109.477		595.068


 (बी० कें० कौशाल)
 प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
 कृषि भवन, लखनऊ

अंशु कुमार मिश्रा
 सयुक्त कृषि निदेशक (गोमती)
 कृषि भवन, लखनऊ

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

जनपद का नाम- अमरोहा

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (2000 हे० क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख ₹० में)

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय ₹० 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	50	45.400	0	0	0	0	0	0	50	45.400
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (₹० 3000 प्रति माह) एवं एक कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (₹० 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु ₹० 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल ₹० 2.40 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	2000	24.000	2000	24.000	2000	24.000	2000	24.000	8000	96.000
3	ब्लाक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	2000	10.000	0	0	0	0	0	0	2000	10.000
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) ₹० 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	2000	6.000	2000	6.000	0	0	0	0	4000	12.000
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डी०बी०टी० के रूप में किसानों को सहायता ₹० 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल ₹० 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु												
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@₹०3600.00/हेक्टेयर / तीन वर्ष(₹० 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	2000	24.000	2000	24.000	2000	24.000	6000	72.000
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (झ्रम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैनुअल/पावर आपरेटड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@₹० 6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	2000	120.000	0	0	0	0	2000	120.000

ग्रामिणिक अधिकारी (गोमती)

कृषि भवन, लखनऊ

28

संयुक्त कृषि निदेशक (बाड़ोयो०)
कृषि भवन, लखनऊ।

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैयोरिंग) प्रबंधन @Rs 3600.00/ हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु० 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	2000	24.000	2000	24.000	2000	24.000	6000	72.000
5.4	प्राकृतिक खेती में लेण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000.00/ हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	2000	20.000	0	0	0	0	2000	20.000
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कंट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु० 400 प्रति हे०	हेक्टेयर	400	0	0	2000	8.000	2000	8.000	0	0	4000	16.000
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु० 1000 प्रति हे० प्रतिवर्ष रु० 2.00 लाख प्रति 50 हे० 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	2000	20.000	2000	20.000	2000	20.000	2000	20.000	8000	80.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मुदा स्वास्थ्य ट्रेकिंग तथा ICAR एवं SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु० 2000 प्रति हे०												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु० 575.25 प्रति हे० तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु० 550 प्रति हे०	हेक्टेयर	1675.25	0	0	2000	11.505	2000	11.000	2000	11.000	6000	33.505
7.2	मुदा स्वास्थ्य हेतु मुदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मुदा नमूना/कृषक (प्रति 02 हे० 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	1000	2.165	0	0	2000	4.330	3000	6.495
	योग- (ब)				105.400		259.670		111.000		107.330		583.400
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	मुख्यालय			1.054		2.597		1.110		1.073		5.834
	महायोग	जनपद			1.054		2.597		1.110		1.073		5.834
					107.508		264.863		113.220		109.477		595.068


 (वी० कें० कौशाल)
 प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
 कृषि भवन, लखनऊ


 अंश कुमार मिश्रा
 संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ोयोग)
 कृषि भवन, लखनऊ

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

जनपद का नाम- संभल

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (1550 हे० क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख ₹० में)

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्म स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय ₹० 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	39	35.185	0	0	0	0	0	0	39	35.185
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (₹० 3000 प्रति माह) एवं एक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (₹० 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु ₹० 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल ₹० 240 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	1550	18.600	1550	18.600	1550	18.600	1550	18.600	6200	74.400
3	ब्लाक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	1550	7.750	0	0	0	0	0	0	1550	7.750
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) ₹० 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	1550	4.650	1550	4.650	0	0	0	0	3100	9.300
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डी0बी0टी0 के रूप में किसानों को सहायता ₹० 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल ₹० 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु												
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@₹3600.00/हेक्टेयर/तीन वर्ष(₹० 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1550	18.600	1550	18.600	1550	18.600	4650	55.800
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (झूम, बाल्टी, मगगा, छनना, मैनुअल/पावर आपरेटेटेड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@₹6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	1550	93.000	0	0	0	0	1550	93.000

अनु-कुमार विश्वाइ

संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ो०यो०) कृषि भवन, लखनऊ।

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैनोरिंग) प्रबंधन @Rs 3600.00/ हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु० 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1550	18.600	1550	18.600	1550	18.600	4650	55.800
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000.00/ हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	1550	15.500	0	0	0	0	1550	15.500
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कंट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु० 400 प्रति हे०	हेक्टेयर	400	0	0	1550	6.200	1550	6.200	0	0	3100	12.400
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु० 1000 प्रति हे० प्रतिवर्ष रु० 2.00 लाख प्रति 50 हे० 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	1550	15.500	1550	15.500	1550	15.500	1550	15.500	6200	62.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मृदा स्वास्थ्य ट्रैकिंग तथा ICAR एवं SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु० 2000 प्रति हे०												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु० 575.25 प्रति हे० तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु० 550 प्रति हे०	हेक्टेयर	1675.25	0	0	1550	8.916	1550	8.525	1550	8.525	4650	25.966
7.2	मृदा स्वास्थ्य हेतु मृदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मृदा नमूना/कृषक (प्रति 02 हे० 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	775	1.678	0	0	1550	3.356	2325	5.034
	योग- (ब)				81.685		201.244		86.025		83.181		452.135
		मुख्यालय			0.817		2.012		0.860		0.832		4.521
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	जनपद			0.817		2.012		0.860		0.832		4.521
	महायोग				83.319		205.269		87.746		84.844		461.178

02/

(वी० से० कौशाल)
वे (सोमती)

लखनऊ

अंशु कुमार विश्नाई
संयुक्त कृषि निदेशक (बढ़ोदो)
कृषि भवन, लखनऊ।

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

जनपद का नाम- कासगंज

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (1700 हे0 क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख रु0 में)

क्रम0 सं0	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय रु0 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे0 क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	43	38.590	0	0	0	0	0	0	43	38.590
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (रु0 3000 प्रति माह) एवं एक कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (रु0 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे0 हेतु रु0 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल रु0 2.40 लाख प्रति 50 हे0)	हेक्टेयर	1200	1700	20.400	1700	20.400	1700	20.400	1700	20.400	6800	81.600
3	ब्लाक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मनीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे0 प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	1700	8.500	0	0	0	0	0	0	1700	8.500
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) रु0 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	1700	5.100	1700	5.100	0	0	0	0	3400	10.200
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डी0बी0टी0 के रूप में किसानों को सहायता रु0 15000 प्रति हे0 50 हेक्टेयर हेतु कुल रु0 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1200	0	0	1700	20.400	1700	20.400	1700	20.400	5100	61.200
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@Rs3600.00/हेक्टेयर/तीन वर्ष(रु0 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1700	20.400	1700	20.400	1700	20.400	5100	61.200
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (झूम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैनुअल/पावर आपरेटेड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@Rs 6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	1700	102.000	0	0	0	0	1700	102.000

अंगु कुमारी विश्वादे

अधिक अधिकारी (गोमती)

संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ोयोग) कृषि भवन, लखनऊ।

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैनोरिंग) प्रबंधन @Rs 3600.00/ हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु0 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1700	20.400	1700	20.400	1700	20.400	5100	61.200
5.4	प्राकृतिक खेती में लेण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000.00/ हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	1700	17.000	0	0	0	0	1700	17.000
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कन्ट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु0 400 प्रति हे0	हेक्टेयर	400	0	0	1700	6.800	1700	6.800	0	0	3400	13.600
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु0 1000 प्रति हे0 प्रतिवर्ष रु0 2.00 लाख प्रति 50 हे0 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	1700	17.000	1700	17.000	1700	17.000	1700	17.000	6800	68.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मुदा स्वास्थ्य ट्रेकिंग तथा ICAR एवं SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु0 2000 प्रति हे0												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु0 575.25 प्रति हे0 तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु0 550 प्रति हे0	हेक्टेयर	1675.25	0	0	1700	9.779	1700	9.350	1700	9.350	5100	28.479
7.2	मुदा स्वास्थ्य हेतु मुदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मुदा नमूना/कृषक (प्रति 02 हे0 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	850	1.840	0	0	1700	3.681	2550	5.521
	योग- (ब)				89.590		220.720		94.350		91.231		495.890
		मुख्यालय			0.896		2.207		0.944		0.912		4.959
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	जनपद			0.896		2.207		0.944		0.912		4.959
	महायोग				91.382		225.134		96.237		93.055		505.808


 (सी0 रॉ०0 कौशाल)
 प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
 कृषि भवन, लखनऊ


 अंश कुमार मिश्रा
 संयुक्त कृषि निदेशक (बायो०य००)
 कृषि भवन, लखनऊ

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

जनपद का नाम- अलीगढ़

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (500 हे० क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख ₹० में)

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय ₹० 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	13	11.350	0	0	0	0	0	0	13	11.350
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (₹० 3000 प्रति माह) एवं एक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (₹० 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु ₹० 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल ₹० 2.40 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	500	6.000	500	6.000	500	6.000	500	6.000	2000	24.000
3	ब्लॉक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	500	2.500	0	0	0	0	0	0	500	2.500
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) ₹० 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	500	1.500	500	1.500	0	0	0	0	1000	3.000
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डी०बी०टी० के रूप में किसानों को सहायता ₹० 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल ₹० 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु	हेक्टेयर											
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@₹3600.00/हेक्टेयर /तीन वर्ष (₹० 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	500	6.000	500	6.000	500	6.000	1500	18.000
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (ड्रम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैनुअल/पावर आपरेटड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@₹6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	500	30.000	0	0	0	0	500	30.000

(बी० कैं० दौशाल)

प्राविधिक (गोमती)

कृषि

34

अंश कुमार विश्वास
संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ोयोग)
कृषि भवन, लखनऊ।

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैन्चोरिंग) प्रबंधन @Rs 3600.00 / हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु 1200.00 / हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	500	6.000	500	6.000	500	6.000	1500	18.000
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000.00 / हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	500	5.000	0	0	0	0	500	5.000
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कन्ट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु 400 प्रति हे०	हेक्टेयर	400	0	0	500	2.000	500	2.000	0	0	1000	4.000
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु 1000 प्रति हे० प्रतिवर्ष रु 2.00 लाख प्रति 50 हे० 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	500	5.000	500	5.000	500	5.000	500	5.000	2000	20.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मृदा स्वास्थ्य ट्रैकिंग तथा ICAR एवं SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु 2000 प्रति हे०												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु 575.25 प्रति हे० तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु 550 प्रति हे०	हेक्टेयर	1675.25	0	0	500	2.876	500	2.750	500	2.750	1500	8.376
7.2	मृदा स्वास्थ्य हेतु मृदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मृदा नमूना/कृषक (प्रति 02 हे० 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	250	0.541	0	0	500	1.083	750	1.624
	योग- (ब)				26.350		64.918		27.750		26.833		145.850
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	मुख्यालय			0.264		0.649		0.278		0.268		1.459
	महायोग	जनपद			0.264		0.649		0.278		0.268		1.459
					26.877		66.216		28.305		27.369		148.767


 (वी० को० कौशल)
 ज़ातिधिक अधिकारी (गोमती)
 कृषि भवन, लखनऊ


 अंशु कुमार शर्मा
 संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ोयो०)
 कृषि भवन, लखनऊ।

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

(वित्तीय लाख ₹0 में)

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (2500 हे0 क्षेत्रफल)

जनपद का नाम- बदायूँ

क्रम0 सं0	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय ₹0 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे0 क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	63	56.750	0	0	0	0	0	0	63	56.750
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (₹0 3000 प्रति माह) एवं एक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (₹0 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे0 हेतु ₹0 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल ₹0 240 लाख प्रति 50 हे0)	हेक्टेयर	1200	2500	30.000	2500	30.000	2500	30.000	2500	30.000	10000	120.000
3	ब्लाक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे0 प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	2500	12.500	0	0	0	0	0	0	2500	12.500
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) ₹0 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	2500	7.500	2500	7.500	0	0	0	0	5000	15.000
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डी0बी0टी0 के रूप में किसानों को सहायता ₹0 15000 प्रति हे0 50 हेक्टेयर हेतु कुल ₹0 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु												
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@₹3600.00/हेक्टेयर /तीन वर्ष(₹0 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	2500	30.000	2500	30.000	2500	30.000	7500	90.000
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (ड्रम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैनुअल/पावर आपरेटड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@₹6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	2500	150.000	0	0	0	0	2500	150.000

अंशु कुमार विश्वा

संगुप्त कृषि निदेशक (बाबूगंज) कृषि भवन, लखनऊ।

प्रतिनिधि (सी0 के0 कोशाल) कारी (गोमती) खनऊ

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैन्योरिंग) प्रबंधन @Rs 3600. 00/ हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु 1200. 00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	2500	30.000	2500	30.000	2500	30.000	7500	90.000
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000. 00/ हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	2500	25.000	0	0	0	0	2500	25.000
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कन्ट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु 400 प्रति हे०	हेक्टेयर	400	0	0	2500	10.000	2500	10.000	0	0	5000	20.000
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु 1000 प्रति हे० प्रतिवर्ष रु 2.00 लाख प्रति 50 हे० 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	2500	25.000	2500	25.000	2500	25.000	2500	25.000	10000	100.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मुदा स्वास्थ्य ट्रेकिंग तथा ICAR एवं SAUS के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु 2000 प्रति हे०												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु 575. 25 प्रति हे० तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु 550 प्रति हे०	हेक्टेयर	1675.25	0	0	2500	14.381	2500	13.750	2500	13.750	7500	41.881
7.2	मुदा स्वास्थ्य हेतु मुदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मुदा नमूना/कृषक (प्रति 02 हे० 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	1250	2.706	0	0	2500	5.413	3750	8.119
	योग- (ब)				131.750		324.588		138.750		134.163		729.250
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	मुख्यालय			1.318		3.246		1.388		1.342		7.293
	महायोग	जनपद			1.318		3.246		1.388		1.342		7.293
					134.385		331.079		141.525		136.846		743.835

(सी० के० कौशल)
प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
कृषि भवन, लखनऊ

अंश कुमार विनोद
संयुक्त कृषि निदेशक (बायो०)
कृषि भवन, लखनऊ

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

जनपद का नाम- शाहजहांपुर

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (1000 हे० क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख ₹० में)

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय ₹० 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	25	22.700	0	0	0	0	0	0	25	22.700
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (₹० 3000 प्रति माह) एवं एक कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (₹० 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु ₹० 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल ₹० 2.40 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	4000	48.000
3	ब्लाक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	1000	5.000	0	0	0	0	0	0	1000	5.000
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) ₹० 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	1000	3.000	1000	3.000	0	0	0	0	2000	6.000
5	इनपुट इन्फास्ट्रक्चर के लिये डी०बी०टी० के रूप में किसानों को सहायता ₹० 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल ₹० 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु												
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@₹3600.00/हेक्टेयर /तीन वर्ष(₹० 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	3000	36.000
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (झ्रम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैनुअल/पावर आपरेटड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@₹6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	1000	60.000	0	0	0	0	1000	60.000

अंशु कुमार विश्वासी
संयुक्त कृषि निदेशक (बाह्ययोग)
कृषि भवन, लखनऊ।

38

प्राविधिक (वी० के० कौमाल)
कृषि भवन

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैनोरिंग) प्रबंधन @Rs 3600. 00/ हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु० 1200. 00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	3000	36.000
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000. 00/ हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	1000	10.000	0	0	0	0	1000	10.000
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कंट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु० 400 प्रति हे०	हेक्टेयर	400	0	0	1000	4.000	1000	4.000	0	0	2000	8.000
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु० 1000 प्रति हे० प्रतिवर्ष रु० 2.00 लाख प्रति 50 हे० 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	1000	10.000	1000	10.000	1000	10.000	1000	10.000	4000	40.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मृदा स्वास्थ्य ट्रेकिंग तथा ICAR एवं SAUS के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु० 2000 प्रति हे०												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु० 575. 25 प्रति हे० तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु० 550 प्रति हे०	हेक्टेयर	1675.25	0	0	1000	5.753	1000	5.500	1000	5.500	3000	16.753
7.2	मृदा स्वास्थ्य हेतु मृदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मृदा नमूना/कृषक (प्रति 02 हे० 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	500	1.083	0	0	1000	2.165	1500	3.248
	योग- (ब)				52.700		129.835		55.500		53.665		291.700
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	मुख्यालय			0.527		1.298		0.555		0.537		2.917
		जनपद			0.527		1.298		0.555		0.537		2.917
	महायोग				53.754		132.432		56.610		54.738		297.534


 (वी० कं० कौशाल)
 निबंधक अधिकारी (गोमती)
 कृषि भवन, लखनऊ


 अंशु कुमार विश्वासे
 संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ोयोग)
 कृषि भवन, लखनऊ।

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

जनपद का नाम- हरदोई

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (1000 हे० क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख ₹० में)

कम० सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय ₹० 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	25	22.700	0	0	0	0	0	0	25	22.700
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (₹० 3000 प्रति माह) एवं एक कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (₹० 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु ₹० 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल ₹० 2.40 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	4000	48.000
3	ब्लाक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	1000	5.000	0	0	0	0	0	0	1000	5.000
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) ₹० 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	1000	3.000	1000	3.000	0	0	0	0	2000	6.000
5	इंगपुट इन्फास्ट्रक्चर के लिये डी०बी०टी० के रूप में किसानों को सहायता ₹० 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल ₹० 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु												
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@₹3600.00/हेक्टेयर / तीन वर्ष(₹० 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	3000	36.000
5.2	आन फार्म इंगपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इंगपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (ड्रम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैन्युअल/पावर आपरेटड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@₹6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	1000	60.000	0	0	0	0	1000	60.000

(बी० कं० कौशल)

प्राविधिक अधिकारी (गोमती)

कृषि भवन, लखनऊ

अंश कुमार विश्नोई

संयुक्त कृषि निदेशकद (गडो०य००) कृषि भवन, लखनऊ।

क्रम सं०	कार्यमद	लागत प्रति इकाई	भौतिक इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैन्योरिंग) प्रबंधन @Rs 3600. 00/ हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु0 1200. 00/हेक्टेयर/वर्ष)	1200	हेक्टेयर	0	0	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	3000	36.000
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000. 00/ हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	1000	हेक्टेयर	0	0	1000	10.000	0	0	0	0	1000	10.000
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कंट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु0 400 प्रति हे0	400	हेक्टेयर	0	0	1000	4.000	1000	4.000	0	0	2000	8.000
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु0 1000 प्रति हे0 प्रतिवर्ष रु0 2.00 लाख प्रति 50 हे0 4 वर्षों हेतु	1000	हेक्टेयर	1000	10.000	1000	10.000	1000	10.000	1000	10.000	4000	40.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मुदा स्वास्थ्य ट्रेकिंग तथा ICAR एवं SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु0 2000 प्रति हे0												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु0 575. 25 प्रति हे0 तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु0 550 प्रति हे0	1675.25	हेक्टेयर	0	0	1000	5.753	1000	5.500	1000	5.500	3000	16.753
7.2	मुदा स्वास्थ्य हेतु मुदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मुदा नमूना/कृषक (प्रति 02 हे0 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	216.50	नमूना	0	0	500	1.083	0	0	1000	2.165	1500	3.248
	योग- (ब)				52.700		129.835		55.500		53.665		291.700
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%		मुख्यालय		0.527		1.298		0.555		0.537		2.917
	महायोग		जनपद		0.527		1.298		0.555		0.537		2.917
					53.754		132.432		56.610		54.738		297.534


 (बी0 के0 कौशल)
 प्राविधिक अधिकारी (गोपनी)
 कृषि भवन, लखनऊ


 अंशु कुमार विश्वेश
 संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ोयोग)
 कृषि भवन, लखनऊ।

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

जनपद का नाम- फर्रुखाबाद

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (3500 हे० क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख रु० में)

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय रु० 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	88	79.450	0	0	0	0	0	0	88	79.450
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (रु० 3000 प्रति माह) एवं एक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (रु० 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु रु० 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल रु० 2.40 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	3500	42.000	3500	42.000	3500	42.000	3500	42.000	14000	168.000
3	ब्लाक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	3500	17.500	0	0	0	0	0	0	3500	17.500
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) रु० 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	3500	10.500	3500	10.500	0	0	0	0	7000	21.000
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डीबीटी0 के रूप में किसानों को सहायता रु० 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल रु० 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु												
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@Rs3600.00/हेक्टेयर /तीन वर्ष(रु० 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	3500	42.000	3500	42.000	3500	42.000	10500	126.000
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (ड्रम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैनुअल/पावर आपरेटेड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@Rs 6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	3500	210.000	0	0	0	0	3500	210.000
				(यी० खे०० कोशाक्ष)									
				अंश कुमार विश्वाँई									

प्राविधिक उपनिर्देश (गोमती)

कृषि भू

नऊ

42

संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ोयोग)
कृषि भवन, लखनऊ।

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैन्योरिंग) प्रबंधन @Rs 3600. 00 / हेक्टेयर / तीन वर्ष(रु 1200. 00 / हेक्टेयर / वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	3500	42.000	3500	42.000	3500	42.000	10500	126.000
5.4	प्राकृतिक खेती में लेण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000. 00 / हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	3500	35.000	0	0	0	0	3500	35.000
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कन्ट्रोल जैसे नीम आयल / नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु 400 प्रति हे०	हेक्टेयर	400	0	0	3500	14.000	3500	14.000	0	0	7000	28.000
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु 1000 प्रति हे० प्रतिवर्ष रु 2.00 लाख प्रति 50 हे० 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	3500	35.000	3500	35.000	3500	35.000	3500	35.000	14000	140.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मृदा स्वास्थ्य ड्रैकिंग तथा ICAR एवं SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु 2000 प्रति हे०												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु 575. 25 प्रति हे० तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु 550 प्रति हे०	हेक्टेयर	1675.25	0	0	3500	20.134	3500	19.250	3500	19.250	10500	58.634
7.2	मृदा स्वास्थ्य हेतु मृदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मृदा नमूना / कृषक (प्रति 02 हे० 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	1750	3.789	0	0	3500	7.578	5250	11.366
	योग- (ब)				184.450		454.423		194.250		187.828		1020.950
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	मुख्यालय			1.845		4.544		1.943		1.878		10.210
	महायोग	जनपद			1.845		4.544		1.943		1.878		10.210
					188.139		463.511		198.135		191.584		1041.369

Signature

(वी० के० कौशल)
मासिक अधिकारी (गोमती)
कृषि भवन, लखनऊ

Signature
अंशु कुमार विश्वाकर्ष
संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ोयोग)
कृषि भवन, लखनऊ

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

जनपद का नाम- कनौज

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (1000 हे० क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख रु० में)

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर खर्च रु० 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	25	22.700	0	0	0	0	0	0	25	22.700
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (रु० 3000 प्रति माह) एवं एक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (रु० 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु रु० 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल रु० 2.40 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	4000	48.000
3	ब्लाक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानोटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	1000	5.000	0	0	0	0	0	0	1000	5.000
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) रु० 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	1000	3.000	1000	3.000	0	0	0	0	2000	6.000
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डी०बी०टी० के रूप में किसानों को सहायता रु० 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल रु० 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु												
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@Rs3600.00/हेक्टेयर/तीन वर्ष(रु० 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	3000	36.000
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (झूम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैनुअल/पावर आपरेटेड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@Rs 6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	1000	60.000	0	0	0	0	1000	60.000

(वी० सं० कोशाल)

अधिकारी (गोमती)

नखनऊ

44

संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ोपग्रो) कृषि भवन, लखनऊ।

अशु कुमार विश्वादे

क्रम सं०	कार्यमद	लागत प्रति इकाई	भौतिक इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैन्सोरिंग) प्रबंधन @Rs 3600.00/ हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु0 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	1200	हेक्टेयर	0	0	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	3000	36.000
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000.00/ हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	1000	हेक्टेयर	0	0	1000	10.000	0	0	0	0	1000	10.000
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कन्ट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु0 400 प्रति हे0	400	हेक्टेयर	0	0	1000	4.000	1000	4.000	0	0	2000	8.000
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु0 1000 प्रति हे0 प्रतिवर्ष रु0 2.00 लाख प्रति 50 हे0 4 वर्षों हेतु	1000	हेक्टेयर	1000	10.000	1000	10.000	1000	10.000	1000	10.000	4000	40.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मुदा स्वास्थ्य ट्रेकिंग तथा ICAR एवं SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु0 2000 प्रति हे0												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु0 575.25 प्रति हे0 तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु0 550 प्रति हे0	1675.25	हेक्टेयर	0	0	1000	5.753	1000	5.500	1000	5.500	3000	16.753
7.2	मुदा स्वास्थ्य हेतु मुदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मुदा नमूना/ कृषक (प्रति 02 हे0 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	216.50	नमूना	0	0	500	1.083	0	0	1000	2.165	1500	3.248
	योग- (ब)				52.700		129.835		55.500		53.665		291.700
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%		मुख्यालय		0.527		1.298		0.555		0.537		2.917
			जनपद		0.527		1.298		0.555		0.537		2.917
	महायोग				53.754		132.432		56.610		54.738		297.534


 (वी0 कं0 कौशल)
 प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
 कृषि भवन, लखनऊ


 संयुक्त कृषि निदेशक (बढ़ोदो)
 कृषि भवन, लखनऊ।

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

जनपद का नाम- कानपुर नगर

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (2000 हे० क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख ₹० में)

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय ₹० 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	50	45.400	0	0	0	0	0	0	50	45.400
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (₹० 3000 प्रति माह) एवं एक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (₹० 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु ₹० 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल ₹० 2.40 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	2000	24.000	2000	24.000	2000	24.000	2000	24.000	8000	96.000
3	ब्लॉक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	2000	10.000	0	0	0	0	0	0	2000	10.000
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) ₹० 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	2000	6.000	2000	6.000	0	0	0	0	4000	12.000
5	इनपुट इन्फ्रस्ट्रक्चर के लिये डी०बी०टी० के रूप में किसानों को सहायता ₹० 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल ₹० 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1200	0	0	2000	24.000	2000	24.000	2000	24.000	6000	72.000
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@₹3600.00/हेक्टेयर/तीन वर्ष(₹० 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	6000	0	0	2000	120.000	0	0	0	0	2000	120.000
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (झ्रम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैनुअल/पावर आपरेटड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@₹6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर											

अध्यक्ष कृषि निदेशक (शादीयों)
संयुक्त कृषि निदेशक (शादीयों)
कृषि भवन, लखनऊ।

(वी० वें० कोशाल)
प्रति (गोमती)
लखनऊ

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैन्योरिंग) प्रबंधन @Rs 3600. 00 / हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु० 1200. 00 / हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	2000	24.000	2000	24.000	2000	24.000	6000	72.000
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000. 00 / हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	2000	20.000	0	0	0	0	2000	20.000
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कन्ट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु० 400 प्रति हे०	हेक्टेयर	400	0	0	2000	8.000	2000	8.000	0	0	4000	16.000
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु० 1000 प्रति हे० प्रतिवर्ष रु० 2.00 लाख प्रति 50 हे० 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	2000	20.000	2000	20.000	2000	20.000	2000	20.000	8000	80.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मृदा स्वास्थ्य ट्रैकिंग तथा ICAR एवं SAUS के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु० 2000 प्रति हे०												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु० 575. 25 प्रति हे० तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु० 550 प्रति हे०	हेक्टेयर	1675.25	0	0	2000	11.505	2000	11.000	2000	11.000	6000	33.505
7.2	मृदा स्वास्थ्य हेतु मृदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मृदा नमूना/कृषक (प्रति 02 हे० 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	1000	2.165	0	0	2000	4.330	3000	6.495
	योग- (ब)				105.400		259.670		111.000		107.330		583.400
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	मुख्यालय			1.054		2.597		1.110		1.073		5.834
	महायोग	जनपद			1.054		2.597		1.110		1.073		5.834
					107.508		264.863		113.220		109.477		595.068


 (वी० कं० कौशल)
 प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
 कृषि भवन, लखनऊ


 अंशु कुमार विशनोई
 संयुक्त कृषि निदेशक (गोमती)
 कृषि भवन, लखनऊ

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

जनपद का नाम- उन्नाव

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (4000 हे० क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख ₹० में)

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय ₹० 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	100	90.800	0	0	0	0	0	0	100	90.800
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (₹० 3000 प्रति माह) एवं एक कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (₹० 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु ₹० 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल ₹० 2.40 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	4000	48.000	4000	48.000	4000	48.000	4000	48.000	16000	192.000
3	ब्लाक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	4000	20.000	0	0	0	0	0	0	4000	20.000
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) ₹० 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	4000	12.000	4000	12.000	0	0	0	0	8000	24.000
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डी०बी०टी० के रूप में किसानों को सहायता ₹० 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल ₹० 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु												
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@Rs3600.00/हेक्टेयर /तीन वर्ष(₹० 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	4000	48.000	4000	48.000	4000	48.000	12000	144.000
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (झ्रम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैनुअल/पावर आपरेटेड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@Rs 6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	4000	240.000	0	0	0	0	4000	240.000

अंश कुमार विश्नोई

प्राविधिक अधिकारी (गोमती)

कृषि भवन, लखनऊ

संयुक्त कृषि निदेशक (वाढो०यो०)

कृषि भवन, लखनऊ

48

क्रमा सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैन्योरिंग) प्रबंधन @Rs 3600.00 / हेक्टेयर / तीन वर्ष(रु० 1200.00 / हेक्टेयर / वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	4000	48.000	4000	48.000	4000	48.000	12000	144.000
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000.00 / हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	4000	40.000	0	0	0	0	4000	40.000
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कन्ट्रोल जैसे नीम आयल / नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु० 400 प्रति हे०	हेक्टेयर	400	0	0	4000	16.000	4000	16.000	0	0	8000	32.000
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु० 1000 प्रति हे० प्रतिवर्ष रु० 2.00 लाख प्रति 50 हे० 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	4000	40.000	4000	40.000	4000	40.000	4000	40.000	16000	160.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मृदा स्वास्थ्य ट्रैकिंग तथा ICAR एवं SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु० 2000 प्रति हे०												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु० 575.25 प्रति हे० तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु० 550 प्रति हे०	हेक्टेयर	1675.25	0	0	4000	23.010	4000	22.000	4000	22.000	12000	67.010
7.2	मृदा स्वास्थ्य हेतु मृदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मृदा नमूना / कृषक (प्रति 02 हे० 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	2000	4.330	0	0	4000	8.660	6000	12.990
	योग- (ब)				210.800		519.340		222.000		214.660		1166.800
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	मुख्यालय			2.108		5.193		2.220		2.147		11.668
	महायोग	जनपद			2.108		5.193		2.220		2.147		11.668
					215.016		529.727		226.440		218.953		1190.136

(Handwritten Signature)

(बी० सं० कौशल)
प्रशिक्षक अधिकारी (गोमती)
कृषि भवन, लखनऊ

(Handwritten Signature)
अंशु कुमार सिनोई
संयुक्त कृषि निदेशक (वाहोबो)
कृषि भवन, लखनऊ

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के कियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

जनपद का नाम- रायबरेली

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (5000 हे० क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख ₹० में)

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय ₹० 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	125	113.500	0	0	0	0	0	0	125	113.500
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (₹० 3000 प्रति माह) एवं एक कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (₹० 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु ₹० 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल ₹० 2.40 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	5000	60.000	5000	60.000	5000	60.000	5000	60.000	20000	240.000
3	ब्लाक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	5000	25.000	0	0	0	0	0	0	5000	25.000
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) ₹० 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	5000	15.000	5000	15.000	0	0	0	0	10000	30.000
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डी०बी०टी० के रूप में किसानों को सहायता ₹० 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल ₹० 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1200	0	0	5000	60.000	5000	60.000	5000	60.000	15000	180.000
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@₹०3600.00/हेक्टेयर /तीन वर्ष(₹० 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	6000	0	0	5000	300.000	0	0	0	0	5000	300.000
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (ड्रम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैनुअल/पावर आपरेटड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@₹० 6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	5000	300.000	0	0	0	0	5000	300.000

प्राधिकृत (बी० सं० कौशाल)

प्रामाणिक (गोमती)

कृषि

50

संयुक्त कृषि निदेशक (वाढो०यो०) कृषि भवन, लखनऊ।

अंशु कुमार मिश्रा

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैन्योरिंग) प्रबंधन @Rs 3600.00 / हेक्टेयर / तीन वर्ष(रु 1200.00 / हेक्टेयर / वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	5000	60.000	5000	60.000	5000	60.000	15000	180.000
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000.00 / हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	5000	50.000	0	0	0	0	5000	50.000
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कंट्रोल जैसे नीम आयल / नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु 400 प्रति हे०	हेक्टेयर	400	0	0	5000	20.000	5000	20.000	0	0	10000	40.000
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु 1000 प्रति हे० प्रतिवर्ष रु 2.00 लाख प्रति 50 हे० 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	5000	50.000	5000	50.000	5000	50.000	5000	50.000	20000	200.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मुदा स्वास्थ्य ट्रेकिंग तथा ICAR एवं SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु 2000 प्रति हे०												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु 575.25 प्रति हे० तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु 550 प्रति हे०	हेक्टेयर	1675.25	0	0	5000	28.763	5000	27.500	5000	27.500	15000	83.763
7.2	मुदा स्वास्थ्य हेतु मुदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मुदा नमूना / कृषक (प्रति 02 हे० 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	2500	5.413	0	0	5000	10.825	7500	16.238
	योग- (ब)				263.500		649.175		277.500		268.325		1458.500
		मुख्यालय			2.635		6.492		2.775		2.683		14.585
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	जनपद			2.635		6.492		2.775		2.683		14.585
	महायोग				268.770		662.159		283.050		273.692		1487.670


 (बी० कैं० कौशल)
 प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
 कृषि भवन, लखनऊ


 अंश कुमार मिश्रा
 संयुक्त कृषि निदेशक (वाटोवो)
 कृषि भवन, लखनऊ

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजानातर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के कियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

(वित्तीय लाख रु० में)

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (5500 हे० क्षेत्रफल)

जनपद का नाम- फतेहपुर

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय रु० 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	138	124.850	0	0	0	0	0	0	138	124.850
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (रु० 3000 प्रति माह) एवं एक कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (रु० 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु रु० 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल रु० 2.40 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	5500	66.000	5500	66.000	5500	66.000	5500	66.000	22000	264.000
3	ब्लॉक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मनीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	5500	27.500	0	0	0	0	0	0	5500	27.500
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) रु० 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	5500	16.500	5500	16.500	0	0	0	0	11000	33.000
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डी०बी०टी० के रूप में किसानों को सहायता रु० 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल रु० 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु												
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@Rs3600.00/हेक्टेयर/तीन वर्ष(रु० 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	5500	66.000	5500	66.000	5500	66.000	16500	198.000
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (ड्रम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैनुरल/पावर आपरेटड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@Rs 6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	5500	330.000	0	0	0	0	5500	330.000

(वी० सं० 0 कौशल)

प्राविधिक अधिकारी (गोमती)

S 2

न, लखनऊ

संयुक्त कृषि निदेशक (गढ़ी००००)
कृषि भवन, लखनऊ।

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैयोरिंग) प्रबंधन @Rs 3600.00/ हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	5500	66.000	5500	66.000	5500	66.000	16500	198.000
5.4	प्राकृतिक खेती में लेण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000.00/ हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	5500	55.000	0	0	0	0	5500	55.000
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कन्ट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु 400 प्रति हे०	हेक्टेयर	400	0	0	5500	22.000	5500	22.000	0	0	11000	44.000
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु 1000 प्रति हे० प्रतिवर्ष रु 2.00 लाख प्रति 50 हे० 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	5500	55.000	5500	55.000	5500	55.000	5500	55.000	22000	220.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मृदा स्वास्थ्य ट्रैकिंग तथा ICAR एवं SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु 2000 प्रति हे०												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु 575.25 प्रति हे० तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु 550 प्रति हे०	हेक्टेयर	1675.25	0	0	5500	31.639	5500	30.250	5500	30.250	16500	92.139
7.2	मृदा स्वास्थ्य हेतु मृदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मृदा नमूना/कृषक (प्रति 02 हे० 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	2750	5.954	0	0	5500	11.908	8250	17.861
	योग- (ब)			289.850			714.093		305.250		295.158		1604.350
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	मुख्यालय		2.899			7.141		3.053		2.952		16.044
	महायोग	जनपद		2.899			7.141		3.053		2.952		16.044
				295.647			728.374		311.355		301.061		1636.437

QW

(वी० कं० कौशल)
प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
कृषि भवन, लखनऊ

अंश कुमार बिस्नोई
संयुक्त कृषि निदेशक (गोमती)
कृषि भवन, लखनऊ

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

जनपद का नाम- प्रतापगढ़

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (1100 हे० क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख रु० में)

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय रु० 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	28	24.970	0	0	0	0	0	0	28	24.970
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (रु० 3000 प्रति माह) एवं एक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (रु० 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु रु० 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल रु० 2.40 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	1100	13.200	1100	13.200	1100	13.200	1100	13.200	4400	52.800
3	ब्लाक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मनीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	1100	5.500	0	0	0	0	0	0	1100	5.500
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) रु० 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	1100	3.300	1100	3.300	0	0	0	0	2200	6.600
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डीबीटी0 के रूप में किसानों को सहायता रु० 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल रु० 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु												
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@Rs3600.00/हेक्टेयर /तीन वर्ष(रु० 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1100	13.200	1100	13.200	1100	13.200	3300	39.600
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (ड्रम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैनुअल/पावर आपरेटड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@Rs 6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	1100	66.000	0	0	0	0	1100	66.000

(वी० सं० कमैशनेर)

प्राविधिक अधिकारी (गोमती)

कृषि भवन, प्रतापगढ़

54

अशु कुमार विश्वाइ
संयुक्त कृषि निदेशक (बायो०००)
कृषि भवन, लखनऊ।

क्रम सं०	कार्यमद	लागत प्रति इकाई	भौतिक इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैनोरिंग) प्रबंधन @Rs 3600.00 / हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु0 1200.00 / हेक्टेयर/ वर्ष)	1200	हेक्टेयर	0	0	1100	13.200	1100	13.200	1100	13.200	3300	39.600
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000.00 / हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	1000	हेक्टेयर	0	0	1100	11.000	0	0	0	0	1100	11.000
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कन्ट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु0 400 प्रति हे0	400	हेक्टेयर	0	0	1100	4.400	1100	4.400	0	0	2200	8.800
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु0 1000 प्रति हे0 प्रतिवर्ष रु0 2.00 लाख प्रति 50 हे0 4 वर्षों हेतु	1000	हेक्टेयर	1100	11.000	1100	11.000	1100	11.000	1100	11.000	4400	44.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मृदा स्वास्थ्य ट्रैकिंग तथा ICAR एवं SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु0 2000 प्रति हे0												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु0 575.25 प्रति हे0 तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु0 550 प्रति हे0	1675.25	हेक्टेयर	0	0	1100	6.328	1100	6.050	1100	6.050	3300	18.428
7.2	मृदा स्वास्थ्य हेतु मृदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मृदा नमूना/कृषक (प्रति 02 हे0 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	216.50	नमूना	0	0	550	1.191	0	0	1100	2.382	1650	3.572
	योग- (ब)				57.970		142.819		61.050		59.032		320.870
			मुख्यालय		0.580		1.428		0.611		0.590		3.209
			जनपद		0.580		1.428		0.611		0.590		3.209
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%				59.129		145.675		62.271		60.212		327.287
	महायोग												

OLW

(बी० तं० कोशाल)
प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
कृषि भवन, लखनऊ

अशु कुमार विश्वा
संयुक्त कृषि निदेशक (वाढे०यो०)
कृषि भवन, लखनऊ।

55

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

जनपद का नाम- कौशाम्बी

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (2600 हे० क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख रु० में)

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय रु० 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	65	59.020	0	0	0	0	0	0	65	59.020
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्प्यूनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (रु० 3000 प्रति माह) एवं एक कम्प्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (रु० 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु रु० 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल रु० 2.40 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	2600	31.200	2600	31.200	2600	31.200	2600	31.200	10400	124.800
3	ब्लाक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	2600	13.000	0	0	0	0	0	0	2600	13.000
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) रु० 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	2600	7.800	2600	7.800	0	0	0	0	5200	15.600
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डी०बी०टी० के रूप में किसानों को सहायता रु० 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल रु० 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु												
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@Rs3600.00/हेक्टेयर /तीन वर्ष(रु० 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	2600	31.200	2600	31.200	2600	31.200	7800	93.600
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (झूम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैनुअल/पावर आपरेटेट स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@Rs 6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	2600	156.000	0	0	0	0	2600	156.000

अंश-कुमार विश्वाजी

संयुक्त कृषि निदेशक (गढ़ाये०)
कृषि भवन, लखनऊ।

प्राविधिक अधिकारी (गामती)

कृषि भवन, लखनऊ

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैन्योरिंग) प्रबंधन @Rs 3600. 00 / हेक्टेयर / तीन वर्ष(रु 1200. 00 / हेक्टेयर / वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	2600	31.200	2600	31.200	2600	31.200	7800	93.600
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000. 00 / हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	2600	26.000	0	0	0	0	2600	26.000
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कन्ट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु 400 प्रति हे०	हेक्टेयर	400	0	0	2600	10.400	2600	10.400	0	0	5200	20.800
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु 1000 प्रति हे० प्रतिवर्ष रु 2.00 लाख प्रति 50 हे० 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	2600	26.000	2600	26.000	2600	26.000	2600	26.000	10400	104.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मुदा स्वास्थ्य ट्रेकिंग तथा ICAR एवं SAUS के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु 2000 प्रति हे०												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु 575. 25 प्रति हे० तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु 550 प्रति हे०	हेक्टेयर	1675.25	0	0	2600	14.957	2600	14.300	2600	14.300	7800	43.557
7.2	मुदा स्वास्थ्य हेतु मुदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मुदा नमूना/कृषक (प्रति 02 हे० 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	1300	2.815	0	0	2600	5.629	3900	8.444
	योग- (ब)				137.020		337.571		144.300		139.529		758.420
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	मुख्यालय			1.370		3.376		1.443		1.395		7.584
	महायोग	जनपद			1.370		3.376		1.443		1.395		7.584
					139.760		344.322		147.186		142.320		773.588


 (वी० के० कौशल)
 प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
 कृषि भवन, लखनऊ


 अंशु कुमार विश्नाई
 संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ोयोग)
 कृषि भवन, लखनऊ

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

जनपद का नाम- प्रयागराज

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (7000 हे० क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख रु० में)

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय रु० 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	175	158.900	0	0	0	0	0	0	175	158.900
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (रु० 3000 प्रति माह) एवं एक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (रु० 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु रु० 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल रु० 2.40 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	7000	84.000	7000	84.000	7000	84.000	7000	84.000	28000	336.000
3	ब्लाक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आला-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	7000	35.000	0	0	0	0	0	0	7000	35.000
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) रु० 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	7000	21.000	7000	21.000	0	0	0	0	14000	42.000
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डी0बी0टी0 के रूप में किसानों को सहायता रु० 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल रु० 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1200	0	0	7000	84.000	7000	84.000	7000	84.000	21000	252.000
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@Rs3600.00/हेक्टेयर /तीन वर्ष(रु० 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	6000	0	0	7000	420.000	0	0	0	0	7000	420.000
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (ड्रम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैन्युअल/पावर आपरेटिड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@Rs 6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	7000	420.000	0	0	0	0	7000	420.000

अंशु कुमार मिश्रा

संयुक्त कृषि निदेशक (बायो०यो०)
कृषि भवन, लखनऊ।

प्रशिक्षक अधिकारी (गोमती)
भवन, लखनऊ

58

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैनोरिंग) प्रबंधन @Rs 3600.00/ हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु0 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	7000	84.000	7000	84.000	7000	84.000	21000	252.000
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000.00/ हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	7000	70.000	0	0	0	0	7000	70.000
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कंट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु0 400 प्रति हे0	हेक्टेयर	400	0	0	7000	28.000	7000	28.000	0	0	14000	56.000
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु0 1000 प्रति हे0 प्रतिवर्ष रु0 2.00 लाख प्रति 50 हे0 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	7000	70.000	7000	70.000	7000	70.000	7000	70.000	28000	280.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मुदा स्वास्थ्य ट्रेकिंग तथा ICAR एवं SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु0 2000 प्रति हे0												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु0 575.25 प्रति हे0 तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु0 550 प्रति हे0	हेक्टेयर	1675.25	0	0	7000	40.268	7000	38.500	7000	38.500	21000	117.268
7.2	मुदा स्वास्थ्य हेतु मुदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मुदा नमूना/ कृषक (प्रति 02 हे0 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	3500	7.578	0	0	7000	15.155	10500	22.733
	योग- (ब)				368.900		908.845		388.500		375.655		2041.900
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	मुख्यालय			3.689		9.088		3.885		3.757		20.419
	महायोग	जनपद			3.689		9.088		3.885		3.757		20.419
					376.278		927.022		396.270		383.168		2082.738

(Handwritten signature)

(वी० सं० कौशल)
प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
कृषि भवन, लखनऊ

(Handwritten signature)
अंगु कुमार शर्मा
संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ो०ग०)
कृषि भवन, लखनऊ।

59

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

जनपद का नाम- मिर्जापुर

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (4250 हे० क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख ₹० में)

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय ₹० 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	106	96.475	0	0	0	0	0	0	106	96.475
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (₹० 3000 प्रति माह) एवं एक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (₹० 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु ₹० 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल ₹० 2.40 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	4250	51.000	4250	51.000	4250	51.000	4250	51.000	17000	204.000
3	ब्लाक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	4250	21.250	0	0	0	0	0	0	4250	21.250
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) ₹० 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	4250	12.750	4250	12.750	0	0	0	0	8500	25.500
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डीबीटी0 के रूप में किसानों को सहायता ₹० 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल ₹० 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु												
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@RS3600.00/हेक्टेयर /तीन वर्ष(₹० 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	4250	51.000	4250	51.000	4250	51.000	12750	153.000
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (झूम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैनुअल/पावर आपरेटड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@RS 6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	4250	255.000	0	0	0	0	4250	255.000

अंग-कृषि विज्ञान

संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ोपयोग) कृषि भवन, लखनऊ।

प्रति (गोमती) 60

लखनऊ

क्रम सं०	कार्यमद	मौक्तिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				मौक्तिक	वित्तीय	मौक्तिक	वित्तीय	मौक्तिक	वित्तीय	मौक्तिक	वित्तीय	मौक्तिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैन्योरिंग) प्रबंधन @Rs 3600.00 / हेक्टेयर/ तीन वर्ष (रु० 1200.00 / हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	4250	51.000	4250	51.000	4250	51.000	12750	153.000
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000.00 / हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	4250	42.500	0	0	0	0	4250	42.500
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कंट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु० 400 प्रति हे०	हेक्टेयर	400	0	0	4250	17.000	4250	17.000	0	0	8500	34.000
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु० 1000 प्रति हे० प्रतिवर्ष रु० 2.00 लाख प्रति 50 हे० 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	4250	42.500	4250	42.500	4250	42.500	4250	42.500	17000	170.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मृदा स्वास्थ्य ट्रेकिंग तथा ICAR एवं SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु० 2000 प्रति हे०												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु० 575.25 प्रति हे० तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु० 550 प्रति हे०	हेक्टेयर	1675.25	0	0	4250	24.448	4250	23.375	4250	23.375	12750	71.198
7.2	मृदा स्वास्थ्य हेतु मृदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मृदा नमूना/कृषक (प्रति 02 हे० 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	2125	4.601	0	0	4250	9.201	6375	13.802
	योग- (ब)				223.975		551.799		235.875		228.076		1239.725
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	मुख्यालय			2.240		5.518		2.359		2.281		12.397
	महायोग	जनपद			2.240		5.518		2.359		2.281		12.397
					228.455		562.835		240.593		232.638		1264.520

DL

(बी० के० कौशाल)
प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
कृषि भवन, लखनऊ

अनु कुमार बिस्नोई
संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ोपशो)
कृषि भवन, लखनऊ।

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

जनपद का नाम- मदाही

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (1000 हे० क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख रु० में)

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय रु० 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	25	22.700	0	0	0	0	0	0	25	22.700
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (रु० 3000 प्रति माह) एवं एक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (रु० 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु रु० 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल रु० 2.40 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	4000	48.000
3	ब्लाक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	1000	5.000	0	0	0	0	0	0	1000	5.000
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) रु० 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	1000	3.000	1000	3.000	0	0	0	0	2000	6.000
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डी0बी0टी0 के रूप में किसानों को सहायता रु० 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल रु० 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1200	0	0	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	3000	36.000
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@Rs3600.00/हेक्टेयर /तीन वर्ष(रु० 1200.00 / हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	6000	0	0	1000	60.000	0	0	0	0	1000	60.000
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (ड्रम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैनुअल/पावर आपरेटड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@Rs 6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर											

अभ्युक्त कृषि निदेशक (बाढ़ोयोगी)
कृषि भवन, लखनऊ।
प्रमाणित (वी० के० कौशिक)
कृषि (गोमती) 62
लखनऊ

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैन्योरिंग) प्रबंधन @Rs 3600. 00/ हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु0 1200. 00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	3000	36.000
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000. 00/ हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	1000	10.000	0	0	0	0	1000	10.000
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कन्ट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु0 400 प्रति हे0	हेक्टेयर	400	0	0	1000	4.000	1000	4.000	0	0	2000	8.000
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु0 1000 प्रति हे0 प्रतिवर्ष रु0 2.00 लाख प्रति 50 हे0 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	1000	10.000	1000	10.000	1000	10.000	1000	10.000	4000	40.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मुदा स्वास्थ्य ट्रेकिंग तथा ICAR एवं SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु0 2000 प्रति हे0												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु0 575. 25 प्रति हे0 तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु0 550 प्रति हे0	हेक्टेयर	1675.25	0	0	1000	5.753	1000	5.500	1000	5.500	3000	16.753
7.2	मुदा स्वास्थ्य हेतु मुदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मुदा नमूना/कृषक (प्रति 02 हे0 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	500	1.083	0	0	1000	2.165	1500	3.248
	योग- (ब)				52.700		129.835		55.500		53.665		291.700
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	मुख्यालय			0.527		1.298		0.555		0.537		2.917
		जनपद			0.527		1.298		0.555		0.537		2.917
	महायोग				53.754		132.432		56.610		54.738		297.534

Qw

(सी0 के0 चौथाल)

प्राविधिक अधिकारी (गोमती)

कृषि भवन, लखनऊ

Ch

अंशु कुमार विरनाई

संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ोयोग)

कृषि भवन, लखनऊ

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

जनपद का नाम- चन्दौली

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (1000 हे० क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख ₹० में)

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय ₹० 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	25	22.700	0	0	0	0	0	0	25	22.700
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (₹० 3000 प्रति माह) एवं एक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (₹० 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु ₹० 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल ₹० 2.40 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	4000	48.000
3	ब्लाक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	1000	5.000	0	0	0	0	0	0	1000	5.000
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) ₹० 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	1000	3.000	1000	3.000	0	0	0	0	2000	6.000
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डीडीबीटी के रूप में किसानों को सहायता ₹० 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल ₹० 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु												
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@₹3600.00/हेक्टेयर /तीन वर्ष(₹० 1200.00 / हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	3000	36.000
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (झ्रम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैनुअल/पावर आपरेटड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@₹6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	1000	60.000	0	0	0	0	1000	60.000

अंश कुमार सिन्हा
संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ोपग्रो)
कृषि भवन, लखनऊ।

प्राविधि
वृ
पारी (गोमती)
लखनऊ

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैयोरिंग) प्रबंधन @Rs 3600. 00/ हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु0 1200. 00/ हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	3000	36.000
5.4	प्राकृतिक खेती में लेण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000. 00/ हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	1000	10.000	0	0	0	0	1000	10.000
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कन्ट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु0 400 प्रति हे0	हेक्टेयर	400	0	0	1000	4.000	1000	4.000	0	0	2000	8.000
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु0 1000 प्रति हे0 प्रतिवर्ष रु0 2.00 लाख प्रति 50 हे0 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	1000	10.000	1000	10.000	1000	10.000	1000	10.000	4000	40.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मुदा स्वास्थ्य ट्रेकिंग तथा ICAR एवं SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु0 2000 प्रति हे0												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु0 575. 25 प्रति हे0 तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु0 550 प्रति हे0	हेक्टेयर	1675.25	0	0	1000	5.753	1000	5.500	1000	5.500	3000	16.753
7.2	मुदा स्वास्थ्य हेतु मुदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मुदा नमूना/कृषक (प्रति 02 हे0 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	500	1.083	0	0	1000	2.165	1500	3.248
	योग- (ब)				52.700		129.835		55.500		53.665		291.700
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	मुख्यालय			0.527		1.298		0.555		0.537		2.917
	महायोग	जनपद			0.527		1.298		0.555		0.537		2.917
					53.754		132.432		56.610		54.738		297.534


 (बी० के० कौशल)
 प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
 कृषि र. 1, लखनऊ


 अंश कुमार सिन्हा
 संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ोयो)
 कृषि भवन, लखनऊ।

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

जनपद का नाम- गाजीपुर

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (4600 हे० क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख रु० में)

क्रम० सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय रु० 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	115	104.420	0	0	0	0	0	0	115	104.420
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (रु० 3000 प्रति माह) एवं एक कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (रु० 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु रु० 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल रु० 2.40 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	4600	55.200	4600	55.200	4600	55.200	4600	55.200	18400	220.800
3	ब्लाक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	4600	23.000	0	0	0	0	0	0	4600	23.000
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) रु० 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	4600	13.800	4600	13.800	0	0	0	0	9200	27.600
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डीबीटी0 के रूप में किसानों को सहायता रु० 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल रु० 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु												
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@Rs3600.00/हेक्टेयर /तीन वर्ष(रु० 1200.00 /हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	4600	55.200	4600	55.200	4600	55.200	13800	165.600
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (ड्रम, बाल्टी, मगा, छनना, मैनुरल/पावर आपरेटड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@Rs 6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	4600	276.000	0	0	0	0	4600	276.000

(वी० के० कोशल)

प्राविधिक अधिकारी (गोमती)

कृषि भवन, लाखनऊ

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैन्योरिंग) प्रबंधन @Rs 3600. 00/ हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु0 1200. 00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	4600	55.200	4600	55.200	4600	55.200	13800	165.600
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000. 00/ हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	4600	46.000	0	0	0	0	4600	46.000
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कन्ट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु0 400 प्रति हे0	हेक्टेयर	400	0	0	4600	18.400	4600	18.400	0	0	9200	36.800
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु0 1000 प्रति हे0 प्रतिवर्ष रु0 2.00 लाख प्रति 50 हे0 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	4600	46.000	4600	46.000	4600	46.000	4600	46.000	18400	184.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मुदा स्वास्थ्य ट्रेकिंग तथा ICAR एवंSAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु0 2000 प्रति हे0												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु0 575. 25 प्रति हे0 तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु0 550 प्रति हे0	हेक्टेयर	1675.25	0	0	4600	26.462	4600	25.300	4600	25.300	13800	77.062
7.2	मुदा स्वास्थ्य हेतु मुदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मुदा नमूना/कृषक (प्रति 02 हे0 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	2300	4.980	0	0	4600	9.959	6900	14.939
	योग- (ब)				242.420		597.241		255.300		246.859		1341.820
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	मुख्यालय			2.424		5.972		2.553		2.469		13.418
	महायोग	जनपद			2.424		5.972		2.553		2.469		13.418
					247.268		609.186		260.406		251.796		1368.656


 (बी० कें० कौशल)
 प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
 कृषि भवन, लखनऊ


 अशु कुमार सिन्हा
 संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ोयोग)
 कृषि भवन, लखनऊ।

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

जनपद का नाम- बलिया

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (2500 हे0 क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख रु0 में)

क्रम0 सं0	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय रु0 90800 प्रति FFS प्रति 50 हे0 क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	63	56.750	0	0	0	0	0	0	63	56.750
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (रु0 3000 प्रति माह) एवं एक कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (रु0 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे0 हेतु रु0 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल रु0 2.40 लाख प्रति 50 हे0)	हेक्टेयर	1200	2500	30.000	2500	30.000	2500	30.000	2500	30.000	10000	120.000
3	ब्लाक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मनीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे0 प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	2500	12.500	0	0	0	0	0	0	2500	12.500
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) रु0 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	2500	7.500	2500	7.500	0	0	0	0	5000	15.000
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डी0बी0टी0 के रूप में किसानों को सहायता रु0 15000 प्रति हे0 50 हेक्टेयर हेतु कुल रु0 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु												
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@Rs3600.00/हेक्टेयर / तीन वर्ष(रु0 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	2500	30.000	2500	30.000	2500	30.000	7500	90.000
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (झ्रम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैनुअल/पावर आपरेटड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@Rs 6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	2500	150.000	0	0	0	0	2500	150.000

अध्यक्ष कुमार विश्वास
संयुक्त कृषि निदेशक (बायोवॉग)
कृषि भवन, लखनऊ

क्रम सं०	कार्यमद	लागत प्रति इकाई	भौतिक इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैन्योरिंग) प्रबंधन @Rs 3600. 00/ हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु 1200. 00/हेक्टेयर/वर्ष)	1200	हेक्टेयर	0	0	2500	30.000	2500	30.000	2500	30.000	7500	90.000
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000. 00/ हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	1000	हेक्टेयर	0	0	2500	25.000	0	0	0	0	2500	25.000
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कन्ट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु 400 प्रति हे०	400	हेक्टेयर	0	0	2500	10.000	2500	10.000	0	0	5000	20.000
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु 1000 प्रति हे० प्रतिवर्ष रु 2.00 लाख प्रति 50 हे० 4 वर्षों हेतु	1000	हेक्टेयर	2500	25.000	2500	25.000	2500	25.000	2500	25.000	10000	100.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मुदा स्वास्थ्य ट्रेकिंग तथा ICAR एवं SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु 2000 प्रति हे०												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु 575. 25 प्रति हे० तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु 550 प्रति हे०	1675.25	हेक्टेयर	0	0	2500	14.381	2500	13.750	2500	13.750	7500	41.881
7.2	मुदा स्वास्थ्य हेतु मुदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मुदा नमूना/ कृषक (प्रति 02 हे० 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	216.50	नमूना	0	0	1250	2.706	0	0	2500	5.413	3750	8.119
	योग- (ब)				131.750		324.588		138.750		134.163		729.250
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%		मुख्यालय		1.318		3.246		1.388		1.342		7.293
	महायोग		जनपद		1.318		3.246		1.388		1.342		7.293
					134.385		331.079		141.525		136.846		743.835

Olw

(बी० कैं० कौशाल)
प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
कृषि भवन, लखनऊ

Dr. Anshu Kumar
अंशु कुमार-विनीत
संयुक्त कृषि निदेशक (बायो०)
कृषि भवन, लखनऊ।

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

जनपद का नाम- बाराबंकी

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (1000 हे० क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख ₹० में)

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्म स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय ₹० 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	25	22.700	0	0	0	0	0	0	25	22.700
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (₹० 3000 प्रति माह) एवं एक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (₹० 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु ₹० 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल ₹० 2.40 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	4000	48.000
3	ब्याक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	1000	5.000	0	0	0	0	0	0	1000	5.000
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) ₹० 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	1000	3.000	1000	3.000	0	0	0	0	2000	6.000
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डी०बी०टी० के रूप में किसानों को सहायता ₹० 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल ₹० 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु												
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@₹०3600.00/हेक्टेयर / तीन वर्ष(₹० 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	3000	36.000
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (ड्रम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मनुअल/पावर आपरेटेड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@₹० 6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	1000	60.000	0	0	0	0	1000	60.000

(बी० ₹० कौशल)

प्राविधिक अधिकारी (गोमती)

अंशु कुमार सिन्हा
संयुक्त कृषि निदेशक (बायो०)
कृषि भवन, लखनऊ।

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैन्योरिंग) प्रबंधन @Rs 3600. 00/ हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु० 1200. 00/ हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	3000	36.000
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000. 00/ हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	1000	10.000	0	0	0	0	1000	10.000
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कन्ट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु० 400 प्रति हे०	हेक्टेयर	400	0	0	1000	4.000	1000	4.000	0	0	2000	8.000
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु० 1000 प्रति हे० प्रतिवर्ष रु० 2.00 लाख प्रति 50 हे० 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	1000	10.000	1000	10.000	1000	10.000	1000	10.000	4000	40.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मुदा स्वास्थ्य ट्रेकिंग तथा ICAR एवं SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु० 2000 प्रति हे०												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु० 575. 25 प्रति हे० तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु० 550 प्रति हे०	हेक्टेयर	1675.25	0	0	1000	5.753	1000	5.500	1000	5.500	3000	16.753
7.2	मुदा स्वास्थ्य हेतु मुदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मुदा नमूना/कृषक (प्रति 02 हे० 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	500	1.083	0	0	1000	2.165	1500	3.248
	योग- (ब)				52.700		129.835		55.500		53.665		291.700
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	मुख्यालय			0.527		1.298		0.555		0.537		2.917
	महायोग	जनपद			0.527		1.298		0.555		0.537		2.917
					53.754		132.432		56.610		54.738		297.534

OLW

(सी० चं० कौशाल)
प्राविधिक रुचिकारी (गोमती)
कृषि भवन, लखनऊ

अंशु कुमार विश्नोई
संयुक्त कृषि निदेशक (गढ़वां जिला)
कृषि भवन, लखनऊ।

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के कियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

जनपद का नाम- अयोध्या

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (1200 हे० क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख ₹० में)

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय ₹० 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	30	27.240	0	0	0	0	0	0	30	27.240
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (₹० 3000 प्रति माह) एवं एक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (₹० 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु ₹० 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल ₹० 2.40 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	1200	14.400	1200	14.400	1200	14.400	1200	14.400	4800	57.600
3	ब्लाक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा-बीटीएर द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	1200	6.000	0	0	0	0	0	0	1200	6.000
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) ₹० 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	1200	3.600	1200	3.600	0	0	0	0	2400	7.200
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डी०बी०टी० के रूप में किसानों को सहायता ₹० 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल ₹० 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु	हेक्टेयर											
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@Rs3600.00/हेक्टेयर / तीन वर्ष(₹० 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1200	14.400	1200	14.400	1200	14.400	3600	43.200
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (झूम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैनुअल/पावर आपरेटड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@Rs 6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	1200	72.000	0	0	0	0	1200	72.000

(बी० कैं० कौशिक)

प्राविधिक अधिकारी (मोगती)

संयुक्त कृषि निदेशक (बा०००००) कृषि भवन, लखनऊ।

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैन्योरिंग) प्रबंधन @Rs 3600. 00/ हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु0 1200. 00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1200	14.400	1200	14.400	1200	14.400	3600	43.200
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000. 00/ हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	1200	12.000	0	0	0	0	1200	12.000
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कन्ट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु0 400 प्रति हे०	हेक्टेयर	400	0	0	1200	4.800	1200	4.800	0	0	2400	9.600
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु0 1000 प्रति हे० प्रतिवर्ष रु0 2.00 लाख प्रति 50 हे० 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	1200	12.000	1200	12.000	1200	12.000	1200	12.000	4800	48.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मुदा स्वास्थ्य ट्रेकिंग तथा ICAR एवं SAUS के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु0 2000 प्रति हे०												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु0 575. 25 प्रति हे० तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु0 550 प्रति हे०	हेक्टेयर	1675.25	0	0	1200	6.903	1200	6.600	1200	6.600	3600	20.103
7.2	मुदा स्वास्थ्य हेतु मुदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मुदा नमूना/कृषक (प्रति 02 हे० 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	600	1.299	0	0	1200	2.598	1800	3.897
	योग- (ब)				63.240		155.802		66.600		64.398		350.040
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	मुख्यालय			0.632		1.558		0.666		0.644		3.500
	महायोग	जनपद			0.632		1.558		0.666		0.644		3.500
					64.505		158.918		67.932		65.686		357.041


 (बी० के० कौशल)
 प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
 कृषि भवन, लखनऊ


 अंशु कुमार विश्नाई
 संयुक्त कृषि निदेशक (गोमती)
 कृषि भवन, लखनऊ

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

जनपद का नाम- सुल्तानपुर

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (1000 हे० क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख रु० में)

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय रु० 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	25	22.700	0	0	0	0	0	0	25	22.700
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (रु० 3000 प्रति माह) एवं एक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (रु० 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु रु० 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल रु० 2.40 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	4000	48.000
3	ब्लाक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	1000	5.000	0	0	0	0	0	0	1000	5.000
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) रु० 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	1000	3.000	1000	3.000	0	0	0	0	2000	6.000
5	इन्पुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डी0बी0टी0 के रूप में किसानों को सहायता रु० 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल रु० 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु	हेक्टेयर											
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@RS3600.00/हेक्टेयर /तीन वर्ष(रु० 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	3000	36.000
5.2	आन फार्म इन्पुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इन्पुट उत्पादन इकाई की स्थापना (ड्रम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैनुअल/पावर आपरेटेड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@Rs 6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	1000	60.000	0	0	0	0	1000	60.000

(ची० के० कौशाल)

प्राविधिक अधिकारी
कृषि भवन, लखनऊ

संयुक्त कृषि निदेशक (गाढ़ो०००)
कृषि भवन, लखनऊ

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैन्योरिंग) प्रबंधन @Rs 3600. 00 / हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु0 1200. 00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	3000	36.000
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000. 00 / हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	1000	10.000	0	0	0	0	1000	10.000
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कन्ट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु0 400 प्रति हे0	हेक्टेयर	400	0	0	1000	4.000	1000	4.000	0	0	2000	8.000
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु0 1000 प्रति हे0 प्रतिवर्ष रु0 2.00 लाख प्रति 50 हे0 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	1000	10.000	1000	10.000	1000	10.000	1000	10.000	4000	40.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मुदा स्वास्थ्य ट्रैकिंग तथा ICAR एवं SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु0 2000 प्रति हे0												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु0 575. 25 प्रति हे0 तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु0 550 प्रति हे0	हेक्टेयर	1675.25	0	0	1000	5.753	1000	5.500	1000	5.500	3000	16.753
7.2	मुदा स्वास्थ्य हेतु मुदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मुदा नमूना/कृषक (प्रति 02 हे0 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	500	1.083	0	0	1000	2.165	1500	3.248
	योग- (ब)				52.700		129.835		55.500		53.665		291.700
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	मुख्यालय			0.527		1.298		0.555		0.537		2.917
	महायोग	जनपद			0.527		1.298		0.555		0.537		2.917
					53.754		132.432		56.610		54.738		297.534


 (वी० सं० कौशल)
 प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
 कृषि भवन, लखनऊ


 अंशु कुमार विश्नोई
 संयुक्त कृषि निदेशक (वाढो०००)
 कृषि भवन, लखनऊ

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

जनपद का नाम- अमेठी

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (1000 हे० क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख रु० में)

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय रु० 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	25	22.700	0	0	0	0	0	0	25	22.700
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्प्यूनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (रु० 3000 प्रति माह) एवं एक कम्प्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (रु० 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु रु० 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल रु० 2.40 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	4000	48.000
3	ब्लाक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मनीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	1000	5.000	0	0	0	0	0	0	1000	5.000
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) रु० 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	1000	3.000	1000	3.000	0	0	0	0	2000	6.000
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डी०बी०टी० के रूप में किसानों को सहायता रु० 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल रु० 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु												
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@Rs3600.00/हेक्टेयर / तीन वर्ष(रु० 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	3000	36.000
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (ड्रम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैनुअल/पावर आपरेटड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@Rs 6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	1000	60.000	0	0	0	0	1000	60.000

(वी० के० कौशाल)

अंशु कुमार विश्वासी

प्राविधिक अधिकारी (गोमती)

समुक्त कृषि निदेशकद (वाढो०यो०)

कृषि भवन, लखनऊ

कृषि भवन, लखनऊ

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैन्थोरिंग) प्रबंधन @Rs 3600.00/ हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु0 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	3000	36.000
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000.00/ हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	1000	10.000	0	0	0	0	1000	10.000
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कन्ट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु0 400 प्रति हे0	हेक्टेयर	400	0	0	1000	4.000	1000	4.000	0	0	2000	8.000
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु0 1000 प्रति हे0 प्रतिवर्ष रु0 2.00 लाख प्रति 50 हे0 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	1000	10.000	1000	10.000	1000	10.000	1000	10.000	4000	40.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मुदा स्वास्थ्य ट्रेकिंग तथा ICAR एवं SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु0 2000 प्रति हे0												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु0 575.25 प्रति हे0 तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु0 550 प्रति हे0	हेक्टेयर	1675.25	0	0	1000	5.753	1000	5.500	1000	5.500	3000	16.753
7.2	मुदा स्वास्थ्य हेतु मुदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मुदा नमूना/कृषक (प्रति 02 हे0 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	500	1.083	0	0	1000	2.165	1500	3.248
	योग- (ब)				52.700		129.835		55.500		53.665		291.700
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	मुख्यालय			0.527		1.298		0.555		0.537		2.917
		जनपद			0.527		1.298		0.555		0.537		2.917
	महायोग				53.754		132.432		56.610		54.738		297.534


 (वी० कं० कौशल)
 प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
 कृषि भवन, लखनऊ


 अनु-कुमार विस्नाई
 संयुक्त कृषि निदेशक (वालेमो०)
 कृषि भवन, लखनऊ

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

जनपद का नाम- लखनऊ

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (1000 हे० क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख ₹0 में)

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय ₹0 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	25	22.700	0	0	0	0	0	0	25	22.700
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (₹0 3000 प्रति माह) एवं एक कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (₹0 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु ₹0 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल ₹0 2.40 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	4000	48.000
3	ब्लॉक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	1000	5.000	0	0	0	0	0	0	1000	5.000
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) ₹0 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	1000	3.000	1000	3.000	0	0	0	0	2000	6.000
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डी0बी0टी0 के रूप में किसानों को सहायता ₹0 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल ₹0 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1200	0	0	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	3000	36.000
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@₹3600.00/हेक्टेयर /तीन वर्ष(₹0 1200.00 /हेक्टेयर /वर्ष)	हेक्टेयर	6000	0	0	1000	60.000	0	0	0	0	1000	60.000
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (ड्रम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैनुअल/पावर आपरेटड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@₹6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	1000	60.000	0	0	0	0	1000	60.000

अंशु कुमार विश्वासी

संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ो०य०)
कृषि भवन, लखनऊ।

78

प्राविधिक अधिकारी
कृषि भवन, लखनऊ।

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैयोरिंग) प्रबंधन @Rs 3600. 00 / हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु0 1200. 00 / हेक्टेयर/ वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	3000	36.000
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000. 00 / हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	1000	10.000	0	0	0	0	1000	10.000
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कन्ट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु0 400 प्रति हे0	हेक्टेयर	400	0	0	1000	4.000	1000	4.000	0	0	2000	8.000
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु0 1000 प्रति हे0 प्रतिवर्ष रु0 2.00 लाख प्रति 50 हे0 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	1000	10.000	1000	10.000	1000	10.000	1000	10.000	4000	40.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मुदा स्वास्थ्य ट्रेकिंग तथा ICAR एवं SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु0 2000 प्रति हे0												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु0 575. 25 प्रति हे0 तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु0 550 प्रति हे0	हेक्टेयर	1675.25	0	0	1000	5.753	1000	5.500	1000	5.500	3000	16.753
7.2	मुदा स्वास्थ्य हेतु मुदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मुदा नमूना/कृषक (प्रति 02 हे0 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	500	1.083	0	0	1000	2.165	1500	3.248
	योग- (ब)				52.700		129.835		55.500		53.665		291.700
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	मुख्यालय			0.527		1.298		0.555		0.537		2.917
	महायोग	जनपद			0.527		1.298		0.555		0.537		2.917
					53.754		132.432		56.610		54.738		297.534

OLW

(बी० के० कौशल)
प्राविधिक र... (गोमती)
जनक

अंशु कुमार मिश्रा
संयुक्त कृषि निदेशक (बा००००)
कृषि भवन, लखनऊ।

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (1060 हे० क्षेत्रफल) (वित्तीय लाख ₹० में)

जनपद का नाम- सीतापुर

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्म स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय ₹० 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	27	24.062	0	0	0	0	0	0	27	24.062
2	क्लस्टर स्तरीय बैम्पियन कृषक एवं कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (₹० 3000 प्रति माह) एवं एक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (₹० 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु ₹० 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल ₹० 2.40 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	1060	12.720	1060	12.720	1060	12.720	1060	12.720	4240	50.880
3	ब्लाक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	1060	5.300	0	0	0	0	0	0	1060	5.300
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) ₹० 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	1060	3.180	1060	3.180	0	0	0	0	2120	6.360
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डी०बी०टी० के रूप में किसानों को सहायता ₹० 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल ₹० 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु												
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@₹3600.00/हेक्टेयर / तीन वर्ष(₹० 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1060	12.720	1060	12.720	1060	12.720	3180	38.160
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (झ्रम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैनुअल/पावर आपरेटड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@₹s 6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	1060	63.600	0	0	0	0	1060	63.600

अंग कुमर/सिन्हा

संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ोयोग)
कृषि भवन, लखनऊ

प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
कृषि भवन, लखनऊ

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैन्योरिंग) प्रबंधन @Rs 3600.00/ हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1060	12.720	1060	12.720	1060	12.720	3180	38.160
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000.00/ हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	1060	10.600	0	0	0	0	1060	10.600
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कन्ट्रोल जैसे नीम आयल/ नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु 400 प्रति हे०	हेक्टेयर	400	0	0	1060	4.240	1060	4.240	0	0	2120	8.480
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु 1000 प्रति हे० प्रतिवर्ष रु 2.00 लाख प्रति 50 हे० 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	1060	10.600	1060	10.600	1060	10.600	1060	10.600	4240	42.400
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मुदा स्वास्थ्य ट्रेकिंग तथा ICAR एवं SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु 2000 प्रति हे०												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु 575.25 प्रति हे० तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु 550 प्रति हे०	हेक्टेयर	1675.25	0	0	1060	6.098	1060	5.830	1060	5.830	3180	17.758
7.2	मुदा स्वास्थ्य हेतु मुदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मुदा नमूना/कृषक (प्रति 02 हे० 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	530	1.147	0	0	1060	2.295	1590	3.442
	योग- (ब)				55.862		137.625		58.830		56.885		309.202
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	मुख्यालय			0.559		1.376		0.588		0.569		3.092
		जनपद			0.559		1.376		0.588		0.569		3.092
	महायोग				56.979		140.378		60.007		58.023		315.386

OLW

(वी० वं० कौशाल)
प्राविधिक अभियंता (नोमती)
कृषि शा

अंशु कुमार सिन्हा
संयुक्त कृषि निदेशक (वाढे०यो०)
कृषि भवन, लखनऊ।

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

जनपद का नाम- लखीमपुर खीरी

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (1000 हे० क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख ₹0 में)

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय ₹0 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	25	22.700	0	0	0	0	0	0	25	22.700
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (₹0 3000 प्रति माह) एवं एक कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (₹0 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु ₹0 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल ₹0 2.40 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	4000	48.000
3	ब्याक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	1000	5.000	0	0	0	0	0	0	1000	5.000
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) ₹0 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	1000	3.000	1000	3.000	0	0	0	0	2000	6.000
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डीबी0टी0 के रूप में किसानों को सहायता ₹0 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल ₹0 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1200	0	0	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	3000	36.000
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@₹3600.00/हेक्टेयर / तीन वर्ष(₹0 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	6000	0	0	1000	60.000	0	0	0	0	1000	60.000
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (ड्रम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैन्युअल/पावर आपरेटेड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@₹6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	1000	60.000	0	0	0	0	1000	60.000

(सी० सं० कौशल)

प्राविधिक अधिकारी (गोमती)

कृषि भवन, लखनऊ

82

संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ोपशो)

कृषि भवन, लखनऊ

क्र० सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैन्योरिंग) प्रबंधन @Rs 3600. 00 / हेक्टेयर / तीन वर्ष(रु० 1200. 00 / हेक्टेयर / वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	3000	36.000
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000. 00 / हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	1000	10.000	0	0	0	0	1000	10.000
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कन्ट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु० 400 प्रति हे०	हेक्टेयर	400	0	0	1000	4.000	1000	4.000	0	0	2000	8.000
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु० 1000 प्रति हे० प्रतिवर्ष रु० 2.00 लाख प्रति 50 हे० 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	1000	10.000	1000	10.000	1000	10.000	1000	10.000	4000	40.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मृदा स्वास्थ्य ट्रैकिंग तथा ICAR एवं SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु० 2000 प्रति हे०												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु० 575. 25 प्रति हे० तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु० 550 प्रति हे०	हेक्टेयर	1575.25	0	0	1000	5.753	1000	5.500	1000	5.500	3000	16.753
7.2	मृदा स्वास्थ्य हेतु मृदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मृदा नमूना / कृषक (प्रति 02 हे० 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	500	1.083	0	0	1000	2.165	1500	3.248
	योग- (ब)				52.700		129.835		55.500		53.665		291.700
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	मुख्यालय			0.527		1.298		0.555		0.537		2.917
		जनपद			0.527		1.298		0.555		0.537		2.917
	महायोग				53.754		132.432		56.610		54.738		297.534

02

(वी० कं० कौशाल)
प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
कृषि भवन, लखनऊ

अंशु कुमार विनोद
संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ोयो०)
कृषि भवन, लखनऊ।

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

जनपद का नाम- बहराइच

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (500 हे० क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख ₹० में)

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय ₹० 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	13	11.350	0	0	0	0	0	0	13	11.350
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (₹० 3000 प्रति माह) एवं एक कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (₹० 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु ₹० 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल ₹० 2.40 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	500	6.000	500	6.000	500	6.000	500	6.000	2000	24.000
3	ब्लाक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	500	2.500	0	0	0	0	0	0	500	2.500
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) ₹० 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	500	1.500	500	1.500	0	0	0	0	1000	3.000
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डी0बी0टी0 के रूप में किसानों को सहायता ₹० 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल ₹० 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु												
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@₹3600.00/हेक्टेयर / तीन वर्ष(₹० 1200.00 / हेक्टेयर / वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	500	6.000	500	6.000	500	6.000	1500	18.000
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (झूम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैनुअल/पावर आपरेटड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@₹6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	500	30.000	0	0	0	0	500	30.000

(बी० कैं० कौशले)

प्राथमिक अधिकारी (गोमती)

कृषि भवन, लखनऊ

84

राज्य कृषि निदेशक (बायो०)
कृषि भवन, लखनऊ।

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैन्योरिंग) प्रबंधन @Rs 3600.00/ हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु0 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	500	6.000	500	6.000	500	6.000	1500	18.000
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000.00/ हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	500	5.000	0	0	0	0	500	5.000
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कन्ट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु0 400 प्रति हे0	हेक्टेयर	400	0	0	500	2.000	500	2.000	0	0	1000	4.000
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु0 1000 प्रति हे0 प्रतिवर्ष रु0 2.00 लाख प्रति 50 हे0 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	500	5.000	500	5.000	500	5.000	500	5.000	2000	20.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मुदा स्वास्थ्य ट्रेकिंग तथा ICAR एवं SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु0 2000 प्रति हे0												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु0 575.25 प्रति हे0 तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु0 550 प्रति हे0	हेक्टेयर	1675.25	0	0	500	2.876	500	2.750	500	2.750	1500	8.376
7.2	मुदा स्वास्थ्य हेतु मुदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मुदा नमूना/कृषक (प्रति 02 हे0 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	250	0.541	0	0	500	1.083	750	1.624
	योग- (ब)				26.350		64.918		27.750		26.833		145.850
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	मुख्यालय			0.264		0.649		0.278		0.268		1.459
	महायोग	जनपद			0.264		0.649		0.278		0.268		1.459
					26.877		66.216		28.305		27.369		148.767

02/

(वी0 कें0 कौशल)
प्राविधिक अधिकारी (नोपत्ती)
कृषि भवन

अंशु कुमार विश्वास
संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ोपशो)
कृषि भवन, लखनऊ।

85

नेशनल मिशन आन नैचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

जनपद का नाम- श्रावस्ती

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (1000 हे० क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख ₹० में)

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय ₹० 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	25	22.700	0	0	0	0	0	0	25	22.700
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (₹० 3000 प्रति माह) एवं एक कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (₹० 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु ₹० 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल ₹० 2.40 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	4000	48.000
3	ब्लाक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	1000	5.000	0	0	0	0	0	0	1000	5.000
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) ₹० 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	1000	3.000	1000	3.000	0	0	0	0	2000	6.000
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डी०बी०टी० के रूप में किसानों को सहायता ₹० 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल ₹० 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु	हेक्टेयर											
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@Rs3600.00/हेक्टेयर /तीन वर्ष(₹० 1200.00 /हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	3000	36.000
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (ड्रम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैनुअल/पावर आपरेटिड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@Rs 6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	1000	60.000	0	0	0	0	1000	60.000

(वी० कै० कौशाल)

प्राविधिक अधिकारी (गोमती)

कृषि भवन, लखनऊ

86

अंशु कुमार विश्वासी

संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ोयोग)

कृषि भवन, लखनऊ

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैन्योरिंग) प्रबंधन @Rs 3600. 00/ हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु० 1200. 00/ हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	3000	36.000
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000. 00/ हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	1000	10.000	0	0	0	0	1000	10.000
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कन्ट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु० 400 प्रति हे०	हेक्टेयर	400	0	0	1000	4.000	1000	4.000	0	0	2000	8.000
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु० 1000 प्रति हे० प्रतिवर्ष रु० 2.00 लाख प्रति 50 हे० 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	1000	10.000	1000	10.000	1000	10.000	1000	10.000	4000	40.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मृदा स्वास्थ्य ट्रेकिंग तथा ICAR एवं SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु० 2000 प्रति हे०												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु० 575. 25 प्रति हे० तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु० 550 प्रति हे०	हेक्टेयर	1675.25	0	0	1000	5.753	1000	5.500	1000	5.500	3000	16.753
7.2	मृदा स्वास्थ्य हेतु मृदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मृदा नमूना/कृषक (प्रति 02 हे० 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	500	1.083	0	0	1000	2.165	1500	3.248
	योग- (ब)				52.700		129.835		55.500		53.665		291.700
		मुख्यालय			0.527		1.298		0.555		0.537		2.917
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	जनपद			0.527		1.298		0.555		0.537		2.917
	महायोग				53.754		132.432		56.610		54.738		297.534


 (सी० के० कौशल)
 प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
 कृषि भवन, लखनऊ


 अंशु कुमार मिश्रा
 संयुक्त कृषि निदेशक (गोमती)
 कृषि भवन, लखनऊ

88

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

जनपद का नाम- बलरामपुर

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (1150 हे० क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख ₹० में)

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फ्रील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय ₹० 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	29	26.105	0	0	0	0	0	0	29	26.105
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (₹० 3000 प्रति माह) एवं एक कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (₹० 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु ₹० 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल ₹० 2.40 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	1150	13.800	1150	13.800	1150	13.800	1150	13.800	4600	55.200
3	ब्लॉक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मनीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	1150	5.750	0	0	0	0	0	0	1150	5.750
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) ₹० 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	1150	3.450	1150	3.450	0	0	0	0	2300	6.900
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डीबीटी0 के रूप में किसानों को सहायता ₹० 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल ₹० 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु												
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@₹3600.00/हेक्टेयर /तीन वर्ष(₹० 1200.00 / हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1150	13.800	1150	13.800	1150	13.800	3450	41.400
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (ड्रम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैनुअल/पावर आपरेटड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@₹6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	1150	69.000	0	0	0	0	1150	69.000

(वी० के० कौशाल)

प्राविधिक अधिकारी (गोमती)

कृषि भवन, लखनऊ

28

संयुक्त कृषि निदेशक (गडो०००)

कृषि भवन, लखनऊ

असु कुमारे विश्नोई

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैन्योरिंग) प्रबंधन @Rs 3600.00 / हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1150	13.800	1150	13.800	1150	13.800	3450	41.400
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000.00/ हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	1150	11.500	0	0	0	0	1150	11.500
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कन्ट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु 400 प्रति हे०	हेक्टेयर	400	0	0	1150	4.600	1150	4.600	0	0	2300	9.200
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु 1000 प्रति हे० प्रतिवर्ष रु 2.00 लाख प्रति 50 हे० 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	1150	11.500	1150	11.500	1150	11.500	1150	11.500	4600	46.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मुदा स्वास्थ्य ट्रेकिंग तथा ICAR एवं SAUS के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु 2000 प्रति हे०												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु 575.25 प्रति हे० तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु 550 प्रति हे०	हेक्टेयर	1675.25	0	0	1150	6.615	1150	6.325	1150	6.325	3450	19.265
7.2	मुदा स्वास्थ्य हेतु मुदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मुदा नमूना/कृषक (प्रति 02 हे० 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	575	1.245	0	0	1150	2.490	1725	3.735
	योग- (ब)				60.605		149.310		63.825		61.715		335.455
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	मुख्यालय			0.606		1.493		0.638		0.617		3.355
		जनपद			0.606		1.493		0.638		0.617		3.355
	महायोग				61.817		152.296		65.102		62.949		342.164


 (वी० कें० कौशाल)
 प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
 कृषि भवन, लखनऊ


 अंशु कुमार विश्नोई
 संयुक्त कृषि निदेशक (वाढोयोग)
 कृषि भवन, लखनऊ।

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

जनपद का नाम- बस्ती

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (1050 हे० क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख ₹0 में)

क्र० सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्म स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय ₹0 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	26	23.835	0	0	0	0	0	0	26	23.835
2	क्लस्टर स्तरीय बैम्पियन कृषक एवं कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (₹0 3000 प्रति माह) एवं एक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (₹0 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु ₹0 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल ₹0 2.40 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	1050	12.600	1050	12.600	1050	12.600	1050	12.600	4200	50.400
3	ब्लाक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	1050	5.250	0	0	0	0	0	0	1050	5.250
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) ₹0 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	1050	3.150	1050	3.150	0	0	0	0	2100	6.300
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डी०बी०टी० के रूप में किसानों को सहायता ₹0 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल ₹0 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु												
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@₹3600.00/हेक्टेयर /तीन वर्ष(₹0 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1050	12.600	1050	12.600	1050	12.600	3150	37.800
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (ड्रम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैनुअल/पावर आपरेटेड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@₹6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	1050	63.000	0	0	0	0	1050	63.000

(बी० के० कोषाब्ज)

प्राविधिक अधिकारी (गोमती)

90

संयुक्त कृषि निदेशकद (बादोयोग)
कृषि भवन, लखनऊ।

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैन्योरिंग) प्रबंधन @Rs 3600.00/ हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु0 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1050	12.600	1050	12.600	1050	12.600	3150	37.800
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000.00/ हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	1050	10.500	0	0	0	0	1050	10.500
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कंट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु0 400 प्रति हे0	हेक्टेयर	400	0	0	1050	4.200	1050	4.200	0	0	2100	8.400
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु0 1000 प्रति हे0 प्रतिवर्ष रु0 2.00 लाख प्रति 50 हे0 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	1050	10.500	1050	10.500	1050	10.500	1050	10.500	4200	42.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मुदा स्वास्थ्य ट्रेकिंग तथा ICAR एवं SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु0 2000 प्रति हे0												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु0 575.25 प्रति हे0 तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु0 550 प्रति हे0	हेक्टेयर	1675.25	0	0	1050	6.040	1050	5.775	1050	5.775	3150	17.590
7.2	मुदा स्वास्थ्य हेतु मुदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मुदा नमूना/कृषक (प्रति 02 हे0 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	525	1.137	0	0	1050	2.273	1575	3.410
	योग- (ब)				55.335		136.327		58.275		56.348		306.285
		मुख्यालय			0.553		1.363		0.583		0.563		3.063
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	जनपद			0.553		1.363		0.583		0.563		3.063
	महायोग				56.442		139.053		59.441		57.475		312.411


 (बी० कैं० कौशाल)
 प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
 कृषि भवन, लखनऊ


 अशु कुमार सिन्हा
 संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ोपशो)
 कृषि भवन, लखनऊ

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

जनपद का नाम- गोरखपुर

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (1400 हे० क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख ₹० में)

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय ₹० 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	35	31.780	0	0	0	0	0	0	35	31.780
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (₹० 3000 प्रति माह) एवं एक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (₹० 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु ₹० 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल ₹० 2.40 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	1400	16.800	1400	16.800	1400	16.800	1400	16.800	5600	67.200
3	ब्लाक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	1400	7.000	0	0	0	0	0	0	1400	7.000
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) ₹० 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	1400	4.200	1400	4.200	0	0	0	0	2800	8.400
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डी०बी०टी० के रूप में किसानों को सहायता ₹० 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल ₹० 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु												
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@₹3600.00/हेक्टेयर / तीन वर्ष(₹० 1200.00 / हेक्टेयर / वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1400	16.800	1400	16.800	1400	16.800	4200	50.400
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (ड्रम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैनुअल/पावर आपरेटरेड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@₹5 6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	1400	84.000	0	0	0	0	1400	84.000
	(वी० वॉ० काँडाव)												

अंश कुमार विश्वाइ

संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ोन्मुख)
कृषि भवन, लखनऊ

प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
कृषि भवन

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैन्चोरिंग) प्रबंधन @Rs 3600.00/ हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु० 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1400	16.800	1400	16.800	1400	16.800	4200	50.400
5.4	प्राकृतिक खेती में लेण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000.00/ हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	1400	14.000	0	0	0	0	1400	14.000
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कन्ट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु० 400 प्रति हे०	हेक्टेयर	400	0	0	1400	5.600	1400	5.600	0	0	2800	11.200
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु० 1000 प्रति हे० प्रतिवर्ष रु० 2.00 लाख प्रति 50 हे० 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	1400	14.000	1400	14.000	1400	14.000	1400	14.000	5600	56.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मुदा स्वास्थ्य ट्रेकिंग तथा ICAR एवं SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु० 2000 प्रति हे०												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु० 575.25 प्रति हे० तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु० 550 प्रति हे०	हेक्टेयर	1675.25	0	0	1400	8.054	1400	7.700	1400	7.700	4200	23.454
7.2	मुदा स्वास्थ्य हेतु मुदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मुदा नमूना/कृषक (प्रति 02 हे० 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	700	1.516	0	0	1400	3.031	2100	4.547
	योग- (ब)				73.780		181.769		77.700		75.131		408.380
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	मुख्यालय			0.738		1.818		0.777		0.751		4.084
	महायोग	जनपद			0.738		1.818		0.777		0.751		4.084
					75.256		185.404		79.254		76.634		416.548


 (वी० को० कौशल)
 प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
 कृषि भवन, लखनऊ


 अंशु कुमार बिस्नोई
 संयुक्त कृषि निदेशक (वाटोव्यो०)
 कृषि भवन, लखनऊ।

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

जनपद का नाम- देवरिया

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (500 हे० क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख ₹0 में)

क्रम0 सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय ₹0 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	13	11.350	0	0	0	0	0	0	13	11.350
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (₹0 3000 प्रति माह) एवं एक कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (₹0 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु ₹0 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल ₹0 2.40 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	500	6.000	500	6.000	500	6.000	500	6.000	2000	24.000
3	ब्लाक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आला-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	500	2.500	0	0	0	0	0	0	500	2.500
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) ₹0 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	500	1.500	500	1.500	0	0	0	0	1000	3.000
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डी0बी0टी0 के रूप में किसानों को सहायता ₹0 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल ₹0 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु												
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@₹3600.00/हेक्टेयर / तीन वर्ष(₹0 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	500	6.000	500	6.000	500	6.000	1500	18.000
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (ड्रम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैनुअल/पावर आपरेटेड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@₹6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	500	30.000	0	0	0	0	500	30.000

प्रारम्भिक अधिकारी (गोमती)
(बी० कैं० कौशल)

कृषि भवन, लखनऊ

संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ो००)
कृषि भवन, लखनऊ।

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैन्योरिंग) प्रबंधन @Rs 3600.00 / हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु0 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	500	6.000	500	6.000	500	6.000	1500	18.000
5.4	प्राकृतिक खेती में लेण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000.00 / हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	500	5.000	0	0	0	0	500	5.000
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कन्ट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु0 400 प्रति हे0	हेक्टेयर	400	0	0	500	2.000	500	2.000	0	0	1000	4.000
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु0 1000 प्रति हे0 प्रतिवर्ष रु0 2.00 लाख प्रति 50 हे0 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	500	5.000	500	5.000	500	5.000	500	5.000	2000	20.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मुदा स्वास्थ्य ट्रेकिंग तथा ICAR एवं SAUS के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु0 2000 प्रति हे0												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु0 575.25 प्रति हे0 तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु0 550 प्रति हे0	हेक्टेयर	1675.25	0	0	500	2.876	500	2.750	500	2.750	1500	8.376
7.2	मुदा स्वास्थ्य हेतु मुदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मुदा नमूना/ कृषक (प्रति 02 हे0 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	250	0.541	0	0	500	1.083	750	1.624
	योग- (ब)				26.350		64.918		27.750		26.833		145.850
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	मुख्यालय			0.264		0.649		0.278		0.268		1.459
	महायोग	जनपद			0.264		0.649		0.278		0.268		1.459
					26.877		66.216		28.305		27.369		148.767


 (वी० के० कौशाल)
 प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
 कृषि भवन, लखनऊ

95


 अंशु कुमार मिश्रा
 संयुक्त कृषि निदेशक (गोमती)
 कृषि भवन, लखनऊ

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

जनपद का नाम- कानपुर देहात

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (1100 हे० क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख ₹० में)

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय ₹० 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	28	24.970	0	0	0	0	0	0	28	24.970
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (₹० 3000 प्रति माह) एवं एक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (₹० 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु ₹० 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल ₹० 2.40 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	1100	13.200	1100	13.200	1100	13.200	1100	13.200	4400	52.800
3	ब्लाक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	1100	5.500	0	0	0	0	0	0	1100	5.500
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) ₹० 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	1100	3.300	1100	3.300	0	0	0	0	2200	6.600
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डी०बी०टी० के रूप में किसानों को सहायता ₹० 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल ₹० 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु												
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@₹3600.00/हेक्टेयर /तीन वर्ष(₹० 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1100	13.200	1100	13.200	1100	13.200	3300	39.600
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (झूम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैन्युअल/पावर आपरेटेड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@₹6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	1100	66.000	0	0	0	0	1100	66.000

(वी० खंड० कैंपेसल)

प्राविधिक अधिकारी (गोमती)

कृषि भवन, लखनऊ

96

अंशु कुमार विमोई

लखनऊ

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैन्यरिंग) प्रबंधन @Rs 3600. 00 / हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु0 1200. 00 / हेक्टेयर/ वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1100	13.200	1100	13.200	1100	13.200	3300	39.600
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000. 00 / हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	1100	11.000	0	0	0	0	1100	11.000
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कन्ट्रोल जैसे नीम आयल/ नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु0 400 प्रति हे०	हेक्टेयर	400	0	0	1100	4.400	1100	4.400	0	0	2200	8.800
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु0 1000 प्रति हे० प्रतिवर्ष रु0 2.00 लाख प्रति 50 हे० 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	1100	11.000	1100	11.000	1100	11.000	1100	11.000	4400	44.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मुदा स्वास्थ्य ड्रैकिंग तथा ICAR एवं SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु0 2000 प्रति हे०												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु0 575. 25 प्रति हे० तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु0 550 प्रति हे०	हेक्टेयर	1675.25	0	0	1100	6.328	1100	6.050	1100	6.050	3300	18.428
7.2	मुदा स्वास्थ्य हेतु मुदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मुदा नमूना/ कृषक (प्रति 02 हे० 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	550	1.191	0	0	1100	2.382	1650	3.572
	योग- (ब)				57.970		142.819		61.050		59.032		320.870
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	मुख्यालय			0.580		1.428		0.611		0.590		3.209
		जनपद			0.580		1.428		0.611		0.590		3.209
	महायोग				59.129		145.675		62.271		60.212		327.287


 (वी० सं०० कौशाल)
 प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
 कृषि भवन, लखनऊ


 अशु कुमार विश्वास
 संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ोपशो)
 कृषि भवन, लखनऊ

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

जनपद का नाम- औरैया

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (1200 हे० क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख ₹० में)

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय ₹० 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	30	27.240	0	0	0	0	0	0	30	27.240
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (₹० 3000 प्रति माह) एवं एक कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (₹० 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु ₹० 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल ₹० 2.40 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	1200	14.400	1200	14.400	1200	14.400	1200	14.400	4800	57.600
3	ब्लाक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	1200	6.000	0	0	0	0	0	0	1200	6.000
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) ₹० 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	1200	3.600	1200	3.600	0	0	0	0	2400	7.200
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डी०बी०टी० के रूप में किसानों को सहायता ₹० 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल ₹० 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1200	0	0	1200	14.400	1200	14.400	1200	14.400	3600	43.200
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@Rs3600.00/हेक्टेयर / तीन वर्ष(₹० 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	6000	0	0	1200	72.000	0	0	0	0	1200	72.000
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (ड्रम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैनुअल/पावर आपरेटेटेड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@Rs 6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	1200	72.000	0	0	0	0	1200	72.000

अंशु कुमार विश्वाइ
संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ोन्मुख)
कृषि भवन, लखनऊ।

प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
कृषि भवन, लखनऊ

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैन्यूरिंग) प्रबंधन @Rs 3600. 00/ हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु० 1200. 00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1200	14.400	1200	14.400	1200	14.400	3600	43.200
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000. 00/ हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	1200	12.000	0	0	0	0	1200	12.000
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कन्ट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु० 400 प्रति हे०	हेक्टेयर	400	0	0	1200	4.800	1200	4.800	0	0	2400	9.600
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु० 1000 प्रति हे० प्रतिवर्ष रु० 2.00 लाख प्रति 50 हे० 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	1200	12.000	1200	12.000	1200	12.000	1200	12.000	4800	48.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मुदा स्वास्थ्य ट्रेकिंग तथा ICAR एवं SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु० 2000 प्रति हे०												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु० 575. 25 प्रति हे० तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु० 550 प्रति हे०	हेक्टेयर	1675.25	0	0	1200	6.903	1200	6.600	1200	6.600	3600	20.103
7.2	मुदा स्वास्थ्य हेतु मुदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मुदा नमूना/कृषक (प्रति 02 हे० 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	600	1.299	0	0	1200	2.598	1800	3.897
	योग- (ब)				63.240		155.802		66.600		64.398		350.040
		मुख्यालय			0.632		1.558		0.666		0.644		3.500
		जनपद			0.632		1.558		0.666		0.644		3.500
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%				64.505		158.918		67.932		65.686		357.041
	महायोग												


 (वी० के० कौशाल)
 प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
 कृषि भवन


 अंशु कुमार विष्मई
 संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ोयो०)
 कृषि भवन, लखनऊ

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

जनपद का नाम- इटावा

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (1000 हे० क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख ₹० में)

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय ₹० 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	25	22.700	0	0	0	0	0	0	25	22.700
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (₹० 3000 प्रति माह) एवं एक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (₹० 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु ₹० 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल ₹० 2.40 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	4000	48.000
3	ब्याक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	1000	5.000	0	0	0	0	0	0	1000	5.000
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) ₹० 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	1000	3.000	1000	3.000	0	0	0	0	2000	6.000
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डी०बी०टी० के रूप में किसानों को सहायता ₹० 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल ₹० 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु	हेक्टेयर											
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@₹3600.00/हेक्टेयर / तीन वर्ष(₹० 1200.00 /हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	3000	36.000
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (झूम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैनुअल/पावर आपरेटड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@₹6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	1000	60.000	0	0	0	0	1000	60.000

अंगु कुमारे बिस्मोई

संयुक्त कृषि निदेशक (गढ़वा) कृषि भवन, लखनऊ

प्राविधिक अधिकारी (गोमती) कृषि भवन, लखनऊ

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैन्योरिंग) प्रबंधन @Rs 3600. 00/ हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु0 1200. 00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	3000	36.000
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000. 00/ हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	1000	10.000	0	0	0	0	1000	10.000
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कन्ट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु0 400 प्रति हे0	हेक्टेयर	400	0	0	1000	4.000	1000	4.000	0	0	2000	8.000
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु0 1000 प्रति हे0 प्रतिवर्ष रु0 2.00 लाख प्रति 50 हे0 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	1000	10.000	1000	10.000	1000	10.000	1000	10.000	4000	40.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मुदा स्वास्थ्य ट्रेकिंग तथा ICAR एवं SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु0 2000 प्रति हे0												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु0 575. 25 प्रति हे0 तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु0 550 प्रति हे0	हेक्टेयर	1675.25	0	0	1000	5.753	1000	5.500	1000	5.500	3000	16.753
7.2	मुदा स्वास्थ्य हेतु मुदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मुदा नमूना/कृषक (प्रति 02 हे0 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	500	1.083	0	0	1000	2.165	1500	3.248
	योग- (ब)				52.700		129.835		55.500		53.665		291.700
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	मुख्यालय			0.527		1.298		0.555		0.537		2.917
		जनपद			0.527		1.298		0.555		0.537		2.917
	महायोग				53.754		132.432		56.610		54.738		297.534


 (वी0 कं0 कौशल)
 अधिक अधिकारी (गोमती)
 कृषि भवन, लखनऊ


 अंश कुमार सिन्हा
 संयुक्त कृषि निदेशक (गोमती)
 कृषि भवन, लखनऊ

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

जनपद का नाम- मैनपुरी

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (1000 हे० क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख ₹० में)

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय ₹० 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	25	22.700	0	0	0	0	0	0	25	22.700
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (₹० 3000 प्रति माह) एवं एक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (₹० 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु ₹० 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल ₹० 2.40 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	4000	48.000
3	ब्याक स्तरीय कार्यन्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटारिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	1000	5.000	0	0	0	0	0	0	1000	5.000
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) ₹० 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	1000	3.000	1000	3.000	0	0	0	0	2000	6.000
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डी०बी०टी० के रूप में किसानों को सहायता ₹० 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल ₹० 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु	हेक्टेयर											
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@₹3600.00/हेक्टेयर / तीन वर्ष(₹० 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	3000	36.000
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (ड्रम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैनुअल/पावर आपरेटेटेड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@₹6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	1000	60.000	0	0	0	0	1000	60.000

अंश कुमार सिन्हा
संयुक्त कृषि निदेशक (सहकर्मियों)
कृषि भवन, लखनऊ।

प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
कृषि भवन, लखनऊ

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैन्योरिंग) प्रबंधन @Rs 3600.00/ हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	3000	36.000
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000.00/ हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	1000	10.000	0	0	0	0	1000	10.000
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कन्ट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु 400 प्रति हे०	हेक्टेयर	400	0	0	1000	4.000	1000	4.000	0	0	2000	8.000
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु 1000 प्रति हे० प्रतिवर्ष रु 2.00 लाख प्रति 50 हे० 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	1000	10.000	1000	10.000	1000	10.000	1000	10.000	4000	40.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मुदा स्वास्थ्य ट्रेकिंग तथा ICAR एवं SAUS के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु 2000 प्रति हे०												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु 575.25 प्रति हे० तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु 550 प्रति हे०	हेक्टेयर	1675.25	0	0	1000	5.753	1000	5.500	1000	5.500	3000	16.753
7.2	मुदा स्वास्थ्य हेतु मुदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मुदा नमूना/कृषक (प्रति 02 हे० 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	500	1.083	0	0	1000	2.165	1500	3.248
	योग- (ब)			52.700			129.835		55.500		53.665		291.700
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	मुख्यालय			0.527		1.298		0.555		0.537		2.917
		जनपद			0.527		1.298		0.555		0.537		2.917
	महायोग			53.754			132.432		56.610		54.738		297.534

OLW

(वी० के० कौशाल)
प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
कृषि भवन, लखनऊ

अंशु कुमार सिन्हा
संयुक्त कृषि निदेशक (बायो०)
कृषि भवन, लखनऊ

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

जनपद का नाम- आगरा

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (1300 हे० क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख रु० में)

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय रु० 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	33	29.510	0	0	0	0	0	0	33	29.510
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (रु० 3000 प्रति माह) एवं एक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (रु० 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु रु० 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल रु० 2.40 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	1300	15.600	1300	15.600	1300	15.600	1300	15.600	5200	62.400
3	ब्लाक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	1300	6.500	0	0	0	0	0	0	1300	6.500
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) रु० 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	1300	3.900	1300	3.900	0	0	0	0	2600	7.800
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डी०बी०टी० के रूप में किसानों को सहायता रु० 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल रु० 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु												
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@Rs3600.00/हेक्टेयर/तीन वर्ष(रु० 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1300	15.600	1300	15.600	1300	15.600	3900	46.800
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (ड्रम, बाल्टी, मगगा, छनना, मैनुअल/पावर आपरेटड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@Rs 6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	1300	78.000	0	0	0	0	1300	78.000

(वी० वें० कौशल)

प्राथमिक अधिकारी (गोमती)

कृषि भवन, लखनऊ

अंशु कुमार विश्वासी

संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़/व्यो०)

कृषि भवन, लखनऊ

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैन्गोरिंग) प्रबंधन @Rs 3600.00/ हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1300	15.600	1300	15.600	1300	15.600	3900	46.800
5.4	प्राकृतिक खेती में लेण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000.00/ हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	1300	13.000	0	0	0	0	1300	13.000
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कन्ट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु 400 प्रति हे०	हेक्टेयर	400	0	0	1300	5.200	1300	5.200	0	0	2600	10.400
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु 1000 प्रति हे० प्रतिवर्ष रु 2.00 लाख प्रति 50 हे० 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	1300	13.000	1300	13.000	1300	13.000	1300	13.000	5200	52.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मृदा स्वास्थ्य ट्रैकिंग तथा ICAR एवं SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु 2000 प्रति हे०												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु 575.25 प्रति हे० तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु 550 प्रति हे०	हेक्टेयर	1675.25	0	0	1300	7.478	1300	7.150	1300	7.150	3900	21.778
7.2	मृदा स्वास्थ्य हेतु मृदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मृदा नमूना/कृषक (प्रति 02 हे० 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	650	1.407	0	0	1300	2.815	1950	4.222
	योग- (ब)				68.510		168.786		72.150		69.765		379.210
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	मुख्यालय			0.685		1.688		0.722		0.698		3.792
	महायोग	जनपद			0.685		1.688		0.722		0.698		3.792
					69.880		172.161		73.593		71.160		386.794


 (बी० क०० कौशल)
 प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
 कृषि भवन, लखनऊ


 अंशु कुमार सिन्हा
 संयुक्त कृषि निदेशक (मृदा/जो०)
 कृषि भवन, लखनऊ

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

(वित्तीय लाख रु में)

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (1000 हे० क्षेत्रफल)

जनपद का नाम- मथुरा

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्म स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय रु० 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	25	22.700	0	0	0	0	0	0	25	22.700
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (रु० 3000 प्रति माह) एवं एक कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (रु० 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु रु० 0.80 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल रु० 2.40 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	4000	48.000
3	ब्लाक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	1000	5.000	0	0	0	0	0	0	1000	5.000
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) रु० 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	1000	3.000	1000	3.000	0	0	0	0	2000	6.000
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डीबीटी0 के रूप में किसानों को सहायता रु० 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल रु० 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु												
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@Rs3600.00/हेक्टेयर /तीन वर्ष(रु० 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	3000	36.000
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (ड्रम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैनुअल/पावर आपरेटेड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@Rs 6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	1000	60.000	0	0	0	0	1000	60.000

अंश कुमार विश्वाइ

सयुक्त कृषि निदेशक (बलौयोग)

प्राविधिक अधिकारी (गोमती)

कृषि भवन, लखनऊ

106

कृषि भवन, लखनऊ

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैन्योरिंग) प्रबंधन @Rs 3600. 00 / हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु0 1200. 00 / हेक्टेयर / वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	3000	36.000
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000. 00 / हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	1000	10.000	0	0	0	0	1000	10.000
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कन्ट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु0 400 प्रति हे0	हेक्टेयर	400	0	0	1000	4.000	1000	4.000	0	0	2000	8.000
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु0 1000 प्रति हे0 प्रतिवर्ष रु0 2.00 लाख प्रति 50 हे0 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	1000	10.000	1000	10.000	1000	10.000	1000	10.000	4000	40.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मृदा स्वास्थ्य ट्रैकिंग तथा ICAR एवं SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु0 2000 प्रति हे0												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु0 575. 25 प्रति हे0 तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु0 550 प्रति हे0	हेक्टेयर	1675.25	0	0	1000	5.753	1000	5.500	1000	5.500	3000	16.753
7.2	मृदा स्वास्थ्य हेतु मृदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मृदा नमूना /कृषक (प्रति 02 हे0 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	500	1.083	0	0	1000	2.165	1500	3.248
	योग- (ब)				52.700		129.835		55.500		53.665		291.700
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	मुख्यालय			0.527		1.298		0.555		0.537		2.917
	महायोग	जनपद			0.527		1.298		0.555		0.537		2.917
					53.754		132.432		56.610		54.738		297.534


 (सी0 के0 कोराल)
 प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
 कृषि भवन, लखनऊ


 संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ोयोग)
 कृषि भवन, लखनऊ

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

जनपद का नाम- सोनमर

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (1000 हे० क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख रु० में)

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय रु० 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	25	22.700	0	0	0	0	0	0	25	22.700
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (रु० 3000 प्रति माह) एवं एक कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (रु० 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु रु० 0.80 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल रु० 2.40 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	4000	48.000
3	ब्लाक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	1000	5.000	0	0	0	0	0	0	1000	5.000
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) रु० 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	1000	3.000	1000	3.000	0	0	0	0	2000	6.000
5	इंगपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डी०बी०टी० के रूप में किसानों को सहायता रु० 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल रु० 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु												
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@Rs3600.00/हेक्टेयर / तीन वर्ष(रु० 1200.00 / हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	3000	36.000
5.2	आन फार्म इंगपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इंगपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (झ्रम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैन्युअल/पावर आपरेटेड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@Rs 6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	1000	60.000	0	0	0	0	1000	60.000

अंशु कुमार विमोई

संयुक्त कृषि निदेशक (बायो०)
कृषि भवन, लखनऊ।

प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
कृषि भवन, लखनऊ।

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैनोरिंग) प्रबंधन @Rs 3600. 00/ हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु 1200. 00/ हेक्टेयर/ वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	3000	36.000
5.4	प्राकृतिक खेती में लेण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000. 00/ हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	1000	10.000	0	0	0	0	1000	10.000
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कन्ट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु 400 प्रति हे०	हेक्टेयर	400	0	0	1000	4.000	1000	4.000	0	0	2000	8.000
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु 1000 प्रति हे० प्रतिवर्ष रु 2.00 लाख प्रति 50 हे० 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	1000	10.000	1000	10.000	1000	10.000	1000	10.000	4000	40.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मृदा स्वास्थ्य ड्रैकिंग तथा ICAR एवं SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु 2000 प्रति हे०												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु 575. 25 प्रति हे० तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु 550 प्रति हे०	हेक्टेयर	1675.25	0	0	1000	5.753	1000	5.500	1000	5.500	3000	16.753
7.2	मृदा स्वास्थ्य हेतु मृदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मृदा नमूना/कृषक (प्रति 02 हे० 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	500	1.083	0	0	1000	2.165	1500	3.248
	योग- (ब)				52.700		129.835		55.500		53.665		291.700
		मुख्यालय			0.527		1.298		0.555		0.537		2.917
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	जनपद			0.527		1.298		0.555		0.537		2.917
	महायोग				53.754		132.432		56.610		54.738		297.534


 (बी० कं० कौशल)
 प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
 कृषि भवन, लखनऊ


 अशु कुमार विश्नोई
 संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ोप०)
 कृषि भवन, लखनऊ

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

जनपद का नाम- पीलीभीत

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (1000 हे० क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख रु० में)

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय रु० 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	25	22.700	0	0	0	0	0	0	25	22.700
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (रु० 3000 प्रति माह) एवं एक कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (रु० 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु रु० 0.80 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल रु० 2.40 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	4000	48.000
3	ब्लाक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	1000	5.000	0	0	0	0	0	0	1000	5.000
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) रु० 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	1000	3.000	1000	3.000	0	0	0	0	2000	6.000
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डी0बी0टी0 के रूप में किसानों को सहायता रु० 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल रु० 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु												
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@Rs3600.00/हेक्टेयर /तीन वर्ष(रु० 1200.00 /हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	3000	36.000
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (ड्रम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैन्युअल/पावर आपरेटरेड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@Rs 6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	1000	60.000	0	0	0	0	1000	60.000

अंशु कुमार विरोही

संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ोयोग)
कृषि भवन, लखनऊ।

110

कृषि भवन, लखनऊ
(वी० कैं० कौशिक)

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैन्योरिंग) प्रबंधन @Rs 3600. 00/ हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु० 1200. 00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	3000	36.000
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000. 00/ हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	1000	10.000	0	0	0	0	1000	10.000
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कन्ट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु० 400 प्रति हे०	हेक्टेयर	400	0	0	1000	4.000	1000	4.000	0	0	2000	8.000
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु० 1000 प्रति हे० प्रतिवर्ष रु० 2.00 लाख प्रति 50 हे० 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	1000	10.000	1000	10.000	1000	10.000	1000	10.000	4000	40.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मृदा स्वास्थ्य ड्रैकिंग तथा ICAR एवं SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु० 2000 प्रति हे०												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु० 575. 25 प्रति हे० तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु० 550 प्रति हे०	हेक्टेयर	1675.25	0	0	1000	5.753	1000	5.500	1000	5.500	3000	16.753
7.2	मृदा स्वास्थ्य हेतु मृदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मृदा नमूना/कृषक (प्रति 02 हे० 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	500	1.083	0	0	1000	2.165	1500	3.248
	योग- (ब)				52.700		129.835		55.500		53.665		291.700
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	मुख्यालय			0.527		1.298		0.555		0.537		2.917
	महायोग	जनपद			0.527		1.298		0.555		0.537		2.917
					53.754		132.432		56.610		54.738		297.534


 (डी० के० कौशल)
 प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
 कृषि भवन, लखनऊ


 अंशु कुमार शर्मा
 संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ोपशो)
 कृषि भवन, लखनऊ

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

जनपद का नाम- शामली

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (1050 हे० क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख ₹० में)

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्म स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय ₹० 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	26	23.835	0	0	0	0	0	0	26	23.835
2	क्लस्टर स्तरीय कैम्पियन कृषक एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (₹० 3000 प्रति माह) एवं एक कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (₹० 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु ₹० 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल ₹० 2.40 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	1050	12.600	1050	12.600	1050	12.600	1050	12.600	4200	50.400
3	ब्लॉक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	1050	5.250	0	0	0	0	0	0	1050	5.250
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) ₹० 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	1050	3.150	1050	3.150	0	0	0	0	2100	6.300
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डी०बी०टी० के रूप में किसानों को सहायता ₹० 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल ₹० 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु												
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@Rs3600.00/हेक्टेयर / तीन वर्ष(₹० 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1050	12.600	1050	12.600	1050	12.600	3150	37.800
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (झ्रम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैनुअल/पावर आपरेटड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@Rs 6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	1050	63.000	0	0	0	0	1050	63.000

अंशु कुमार मिश्रा
संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़वियोग)
कृषि भवन, लखनऊ

प्राधिकृत अधिकारी (श्रीमती)
कृषि भवन, लखनऊ

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैन्योरिंग) प्रबंधन @Rs 3600.00/ हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु० 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1050	12.600	1050	12.600	1050	12.600	3150	37.800
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000.00/ हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	1050	10.500	0	0	0	0	1050	10.500
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कंट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु० 400 प्रति हे०	हेक्टेयर	400	0	0	1050	4.200	1050	4.200	0	0	2100	8.400
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु० 1000 प्रति हे० प्रतिवर्ष रु० 2.00 लाख प्रति 50 हे० 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	1050	10.500	1050	10.500	1050	10.500	1050	10.500	4200	42.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मृदा स्वास्थ्य ट्रैकिंग तथा ICAR एवं SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु० 2000 प्रति हे०												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु० 575.25 प्रति हे० तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु० 550 प्रति हे०	हेक्टेयर	1675.25	0	0	1050	6.040	1050	5.775	1050	5.775	3150	17.590
7.2	मृदा स्वास्थ्य हेतु मृदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मृदा नमूना/कृषक (प्रति 02 हे० 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	525	1.137	0	0	1050	2.273	1575	3.410
	योग- (ब)				55.335		136.327		58.275		56.348		306.285
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	मुख्यालय			0.553		1.363		0.583		0.563		3.063
		जनपद			0.553		1.363		0.583		0.563		3.063
	महायोग				56.442		139.053		59.441		57.475		312.411


 (बी० कें० कोशाल)
 प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
 कृषि भवन, लखनऊ


 अंशु कुमार विशनोई
 संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ोयोग)
 कृषि भवन, लखनऊ

नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन हेतु कार्यमदवार

वर्ष 2022-23 से 2025-26

जनपद का नाम- सहारनपुर

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (1000 हे० क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख ₹0 में)

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्मर स्कूल (FFS) की स्थापना पर व्यय ₹0 90800 प्रति FFS (प्रति 50 हे० क्षेत्र में 1.25 FFS)	प्रति FFS	90800	25	22.700	0	0	0	0	0	0	25	22.700
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (₹0 3000 प्रति माह) एवं एक कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (₹0 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे० हेतु ₹0 0.80 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल ₹0 2.40 लाख प्रति 50 हे०)	हेक्टेयर	1200	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	4000	48.000
3	ब्लाक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आला-बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मनीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे० प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	1000	5.000	0	0	0	0	0	0	1000	5.000
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) ₹0 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	300	1000	3.000	1000	3.000	0	0	0	0	2000	6.000
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डीबीटी के रूप में किसानों को सहायता ₹0 15000 प्रति हे० 50 हेक्टेयर हेतु कुल ₹0 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु												
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@₹3600.00/हेक्टेयर/तीन वर्ष(₹0 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	3000	36.000
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (झम, बाट्ली, मग्गा, छनना, मैनुअल/पावर आपरेटड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@₹6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	1000	60.000	0	0	0	0	1000	60.000

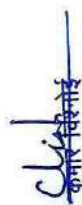
अंश कुमार सिन्हा

संयुक्त कृषि निदेशक (बायो०यो०)
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि भवन, लखनऊ

क्रम सं०	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैन्पोरिंग) प्रबंधन @Rs 3600. 00/ हेक्टेयर/ तीन वर्ष (रु० 1200. 00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	1200	0	0	1000	12.000	1000	12.000	1000	12.000	3000	36.000
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000. 00/ हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	1000	10.000	0	0	0	0	1000	10.000
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कंट्रोल जैसे नीम आयल/ नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में) रु० 400 प्रति हे०	हेक्टेयर	400	0	0	1000	4.000	1000	4.000	0	0	2000	8.000
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रु० 1000 प्रति हे० प्रतिवर्ष रु० 2.00 लाख प्रति 50 हे० 4 वर्षों हेतु	हेक्टेयर	1000	1000	10.000	1000	10.000	1000	10.000	1000	10.000	4000	40.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मृदा स्वास्थ्य ट्रैकिंग तथा ICAR एवं SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रु० 2000 प्रति हे०												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रु० 575. 25 प्रति हे० तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रु० 550 प्रति हे०	हेक्टेयर	1675.25	0	0	1000	5.753	1000	5.500	1000	5.500	3000	16.753
7.2	मृदा स्वास्थ्य हेतु मृदा नमूने का परीक्षण@Rs 216.5/ प्रति मृदा नमूना/कृषक (प्रति 02 हे० 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	नमूना	216.50	0	0	500	1.083	0	0	1000	2.165	1500	3.248
	योग- (ब)				52.700		129.835		55.500		53.665		291.700
		मुख्यालय			0.527		1.298		0.555		0.537		2.917
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%	जनपद			0.527		1.298		0.555		0.537		2.917
	महायोग				53.754		132.432		56.610		54.738		297.534


 (बी० रं० कौशल)
 प्राविधिक अधिकारी (गोमती)
 कृषि भवन, लखनऊ


 अशु कुमर विश्वास
 संयुक्त कृषि निदेशक (गोमती)
 कृषि भवन, लखनऊ



“स्वास्थ्य एवं समृद्धि हेतु प्राकृतिक खेती अपनायें”

"Adopt Natural Farming for Health & Prosperity"